राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] चौदहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का चौथा दिवस [संख्या : 2

सोमवार,

14 जुलाई, 2014

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार। सब रोज में। सभी रोज में। सभी पंक्तियों में नमस्कार। (व्यवधान)

मुख्य मंत्रीजी इससे नाराज नहीं होंगी। आप कह रहे हैं कि उनको लास्ट में नमस्कार किया, लेकिन वे नाराज नहीं होंगी क्योंकि प्रक्रिया वहां जाते-जाते पूरी होती है। यहां से चालू करूंगा तो यहां पूरी होगी।

श्री कालू लाल गुर्जर।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र. सं. 4)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 11 जुलाई, 2014 को मध्यान्ह पूर्व 11.50 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि सोमवार, दिनांक 14 जुलाई, 2014 से शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई, 2014 तक सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय:-

सोमवार, दिनांक 14 जुलाई 2014	परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-15 का उपस्थापन।

(श्री कालू लाल गुर्जर)

मंगलवार, दिनांक 15 जुलाई 2014 बुधवार, दिनांक 16 जुलाई 2014 गुरुवार, दिनांक 17 जुलाई 2014	परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-15 पर सामान्य वाद-विवाद।
शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई 2014	परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-15 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

श्रीमती वसुन्धरा राजे।

व्यवस्था का प्रश्न

छह महीने की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी मंत्री बने रहने से सरकार की संवैधानिक स्थिति को खतरा

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। मैं एक मिनट के लिए, पहले, उससे पहले एक मिनट में मेरी बात कहना चाहूंगा। हम निवेदन कर रहे हैं, एक मिनट ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसके बाद।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट के लिए। हम हमारी बात रखना चाह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम हमारी बात रखना चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: इसके बाद। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह कहना चाह रहा हूं कि 11 तारीख को हमने यह कहा था कि सरकार गैर-संवैधानिक है।

श्री अध्यक्ष: आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): उसके बारे में आपने, अध्यक्ष महोदय, रूलिंग दी थी। (व्यवधान) हमारी बात सुनी नहीं।

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बोलने का मौका दो। (व्यवधान) बोल रहे हैं, एक मिनट अपनी बात कहने दो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हमें मजबूरन गवर्नर के यहां जाना पडा और ज्ञापन देना पड़ा। उनसे निवेदन करना पड़ा कि यह जो असंवैधानिक मामला है, सरकार अस्तित्वहीन है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): और उसमें आपने हमारी बात सुने बगैर, सीधे यह कह दिया, आपने यह कह दिया कि मैं रूलिंग देता हूं और उस रूलिंग के आधार पर बारह मंत्री यहां हैं।

मंत्री बैठे जरूर हैं लेकिन सांवर लाल जाट कांस्टिट्यूशन के मुताबिक आज की तारीख में मंत्री नहीं हैं। इसलिए आपको कानून की राय लेनी चाहिए। आपने हमारी बात सुने बगैर हमें यह कहा कि मैं रूलिंग देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपका 11 तारीख को जिस तरीके से रोल रहा, उसमें आपको निष्पक्ष होकर रोल करना चाहिए। उसमें यह भी, जो प्रोसिडिंग के अन्दर है, आपने यह कहा कि विपक्ष के द्वारा जो रोल अदा किया गया, मैं उसकी निंदा करता हूं; यह बात हमारे हिसाब से अच्छी लगी नहीं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मैं स्पष्टीकरण दे देता हूं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं एक निवेदन और करना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आपने अपनी बात कह दी, मैं स्पष्टीकरण देता हूं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, मैंने पूरी बात कही नहीं। मैं यह कह रहा हूं कि सरकार बजट पेश करने जा रही है। राजस्थान में सरकार को बने हुए छह महीने हो गये, इन छह महीनों के अन्दर राजस्थान की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है, चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे आपके बिजली की बात हो। और मैं बताऊं आपको ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह बजट पर बहस का विषय है। नहीं, आप स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह स्थिति है, मौसम विभाग ने यह कह दिया कि आने वाला मानसून राजस्थान के अन्दर कमजोर है।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए। प्रतिपक्ष के नेता, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): उस कमजोर मानसून को देखते हुए सरकार की तरफ से कोई ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं दोनों ही बातों पर स्पष्टीकरण दे रहा हूं।

आपने मेरे 'निन्दा' शब्द पर एतराज किया है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने 'निन्दा' शब्द का यूज किया लेकिन किस परिस्थिति में किया, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। इस सदन की और लोक सभा की परम्परा रही है, आदरांजलि और शोकाभिव्यक्ति, ये ऐसे अवसर आते हैं जबकि सारा सदन मन से, वचन से हमारे स्वर्गीय, जो साथी रहे हैं या रहे थे, उनको अपनी आदरांजलि देता है, शोकाभिव्यक्ति करता है। उस समय कोई डिस्टर्ब करना, उस समय कोई बाधा डालना, यह कोई उचित व्यवहार नहीं है। आप अपने व्यवहार को उचित मानते हैं क्या? (व्यवधान) आप अपने व्यवहार को उचित मानते हैं क्या? आप अपने व्यवहार के लिए माफी मांगिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हमने बाधा कहां डाली? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 'निन्दा' शब्द को वापस ले लूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बोलना है। (व्यवधान) शोकाभिव्यक्ति से पहले सरकारी कार्य हुआ था, उस सरकारी कार्य में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं विस्तार से अपनी रूलिंग दे रहा हूं, आप विराजिये। मैं विस्तार से दे रहा हूं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): शोकाभिव्यक्ति नहीं थी। उसमें जो सरकारी कार्य हुआ, उसमें हमने बोला था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। मैं विस्तार से अपनी रूलिंग दे देता हूं। (व्यवधान) आप विराजिये। आप स्थान ग्रहण कीजिए।

(श्री अध्यक्ष)

व्यवस्था

सत्ता पक्ष के 12 मंत्री उपस्थित हैं; अतः सरकार संवैधानिक स्थिति में है

प्रतिपक्ष के नेता एवं कांग्रेस के विधायकों द्वारा राज्य सरकार के अस्तित्व में नहीं होने एवं कैबिनेट मंत्री, श्री सांवर लाल जाट के मंत्री पद को अमान्य करने का आधारहीन तर्क दिया गया था। मैंने उसी दिन इस विषय में अपनी रूलिंग दे दी थी।

भारतीय संविधान के अनुसार देश व प्रदेश में संसद व विधान मण्डलों के चुनाव का दायित्व चुनाव आयोग को दिया गया है। संविधान के अन्तर्गत यह उद्देश्य पूरा करने के लिए संवैधानिक रूप से चुनाव आयोग की रचना की गई है और चुनाव आयोग को सम्पूर्ण देश में चुनाव करा कर संसद सदस्यों तथा विधान मण्डलों के सदस्यों को निर्वाचित घोषित करने का अधिकार दिया गया है। चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर संसद सदस्यों एवं विधान मण्डलों के सदस्यों के नाम अधिसूचना के द्वारा घोषित किये जाते हैं। यह अधिसूचना ना केवल भारत में, बल्कि विश्व भर में सांसद व विधायक होने का एक मान्यता प्राप्त प्रामाणिक दस्तावेज है।

चुनाव आयोग की अधिसूचना के उपरान्त केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों के गठन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। यह परिपाटी व परम्परा संवैधानिक सरकारों की स्थापना के साथ ही इस देश में लागू है।

राजस्थान में विधान सभा के चुनाव की मतगणना दिनांक 8 दिसम्बर, 2013 को हुई और विजयी विधायकों के नाम चुनाव आयोग की अधिसूचना दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई। यह अधिसूचना एक ऐसा दस्तावेज है जिसको पूरी संवैधानिकता प्राप्त है। इस अधिसूचना में राजस्थान की नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र से श्री सांवर लाल जाट को विधायक के रूप में घोषित किया गया है। अत: दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 के बाद श्री सांवर लाल जाट की विधायकता के बारे में किसी प्रकार की शंका की ही नहीं जा सकती और वे असंदिग्ध रूप से विधायक के रूप में इस विधान सभा के सदस्य हैं व विधायक के रूप में उन्हें दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 को श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्य मंत्री द्वारा अपने मंत्रिमण्डल में मंत्री के रूप में शपथ दिलवा कर सम्मिलित किया गया है।

(श्री अध्यक्ष)

अत: प्रतिपक्ष के नेता व कांग्रेस के विधायकों द्वारा 20 दिसम्बर, 2013 को उनका विधायक नहीं होने का तर्क, नितान्त आधार-हीन, किसी भी कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। मुझे अफसोस है कि देश में इस स्थापित व्यवस्था के बारे में कांग्रेस अपने कुतर्कों द्वारा भ्रम फैला रही है।

मैं एक उदाहरण और देना चाहूंगा। आज विधायक के रूप में ... (व्यवधान) आप शांति से सुनिये, बैठिये। शांति से सुनिये। शांति से सुनिये। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): किस बात का है?

श्री अध्यक्ष: मैं आपको, हर एक को पूरा, इस पर भी बहस करना चाहें तो बहस का मौका दूंगा, सारे सदन की राय से। मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मेरी रूलिंग दे रहा हूं, मैं खड़ा हूं, उस समय आपको किसी तरह से बाधा डालने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार मुझे इसी सदन ने इस किताब के माध्यम से दिया है। इसलिए इस किताब का आदर कीजिए। यह आपकी दी हुई किताब है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): नाराज होने की जरूरत नहीं है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: गुस्सा थोड़े ही हो रहा हूं। (व्यवधान) गुस्सा कतई नहीं। (व्यवधान) मैं माननीय विधायकों को एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शुरू से मेरी आवाज तेज रही है। जब मैं डिबेट बोलता था, तब भी तेज होता था और उसमें थोड़ी सी भी अभिवृद्धि हो जाती है तो आप सोचते हो कि मैं गुस्से में बोल रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे तेज बोलने की आवाज को आप गुस्सा नहीं मानें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप इतना तेज बोलते हैं कि हमारी बोलती बंद हो जाती है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, कतई नहीं। (व्यवधान) मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हमारी बोलती बंद कर देते हैं आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं आपको मौका दूंगा। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपके हार्ट की प्राब्लम है आपको इतने जोर से नहीं बोलना चाहिंए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अच्छा नहीं बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह हमारा निवेदन है, बहुत धीरे बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बहुत धीरे बोलूंगा। (व्यवधान)

मैं एक उद्धरण देना चाहता हूं। आज विधायक के रूप में इस विधान सभा के सदस्य, श्री अशोक गहलोत को कांग्रेस हाइकमान ने राजस्थान की राजनीति में स्थापित करने हेतु तत्कालीन मुख्य मंत्री, स्वर्गीय श्री शिवचरण माथुर के मंत्रिमंडल में सम्मिलित करवाया था। उस समय श्री अशोक गहलोत लोक सभा सदस्य भी थे, जो आज लोक सभा सदस्य हैं हमारे, श्री सांवर लाल जाट, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अन्तर्गत विधायक नहीं होते हुए भी उन्हें मंत्री पद दिया गया था और वे 6 माह पूरे होने के पहले ही मंत्री पद छोड़कर पुन: दिल्ली चले गये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर उस समय माननीय सांवर लालजी जाट मंत्री थे तो ...(व्यवधान) मंत्री नहीं रहे, अब एम एल ए नहीं रहे। तो इनको दुबारा शपथ लेनी पड़ेगी संविधान के हिसाब से। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: लक्ष्मणगढ़ से आने वाले विधायक, ...(व्यवधान) फिर व्यवधान, जोर से बोलने पर बाध्य कर रहे हैं। (व्यवधान) मैं बड़ी शालीनता से, बड़ी धीरे स्वर में, बड़ी धीमी गति से अपनी रूलिंग पढ़ रहा हूं। इसको स्वीकार कीजिये। मैं आपका आदेश मान रहा हूं।

यही स्थिति आज कैबिनेट मंत्री, श्री सांवर लाल जाट की है। वे दिनांक 29.05.2014 तक विधायक के रूप में मंत्री रहे और 29.05.2014 के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत मंत्री पद पर आसीन हैं और इस मंत्री पद पर दिनांक 28.11.2014 तक आसीन रह सकते हैं। उसके बाद, स्वत: ही मंत्री पद से अलग हो जाने का संवैधानिक प्रावधान है।

ऐसी स्थिति में, सभी कसौटियों पर अकाट्य रूप से उनका मंत्री पद पर होना संदेह से परे है। इस तरह से वे मंत्रिमण्डल के 12 सदस्यों में से एक सम्मानित सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में, सरकार के अस्तित्व पर उंगली नहीं उठाई जा सकती।

(श्री अध्यक्ष)

मैं एक दूसरा उदाहरण और देना चाहूंगा। सन् 1980 के जून माह में राजस्थान में हुए विधान सभा चुनावों में कांग्रेस बहुमत में आई और उस समय कांग्रेस हाइकमान ने उस बहुमत में सम्मिलित किसी भी विधायक को मुख्य मंत्री होने का पात्र नहीं माना व दिल्ली से श्री जगन्नाथ पहाड़िया को मुख्य मंत्री का दायित्व संभालने के लिए भेजा। श्री जगन्नाथ पहाड़िया ने दिनांक 6.06.1980 को मुख्य मंत्री पद की शपथ ली। उस समय वे विधान सभा के सदस्य नहीं थे और संसद सदस्य थे तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(4) का लाभ लेते हुए मुख्य मंत्री बने थे। उसके बाद वे दिनांक 24.11.1980 को विधायक चुन लिये गये। तब श्री जगन्नाथ पहाड़िया दिनांक 6.06.1980 से दिनांक 23.11.1980 तक बिना विधायक पद पर रहे मुख्य मंत्री रहे। दिनांक 24.11.1980 से 14.07.1981 तक विधायक के रूप में मुख्य मंत्री रहे।

प्रतिपक्ष के नेता व कांग्रेस के विधायकों का आज पैदा किया जा रहा आधारहीन कुतर्क उस समय पैदा किया होता तो क्या श्री जगन्नाथ पहाड़िया 6.12.1980 को हटा दिये जाते? तो क्या दिनांक 6.12.1980 से 14.07.1981 तक की उनकी सरकार अवैधानिक थी? इस तरह, श्री जगन्नाथ पहाड़िया को विधायक बनने के पहले संविधान के अनुच्छेद 164(4) के प्रावधानों का लाभ मिला और श्री सांवर लाल जाट को 29.05.2014 के बाद विधायक नहीं रहने पर भी मंत्री बने रहने का संविधान के प्रावधान 164(4) का लाभ मिल रहा है।

अत: मैं राजस्थान सरकार के अस्तित्व को पूरी तरह स्वीकार करता हूं और श्री सांवर लाल जाट को मंत्री परिषद के एक सम्मानित सदस्य की मान्यता देता हूं और प्रतिपक्ष के औचित्य के प्रश्न को पूरी तरह खारिज करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड। एक सैकण्ड। (व्यवधान) अगर 13 दिसम्बर को इनको एम एल ए मानते हैं ...(व्यवधान)... तो दुबारा शपथ दिलानी पड़ेगी इनको। (व्यवधान) माननीय गहलोत साहब का और इनका एक नहीं है। (व्यवधान) आप 6 महीने के लिए बना सकते हैं लेकिन दुबारा शपथ लेनी पड़ेगी, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बात को घूमा क्यों रहे हैं? (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आसन पैरों पर है, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, अगर इनको 20 दिसम्बर को एम एल ए मानते हैं तो आज ये एम एल ए नहीं हैं। तो इनको 6 महीने के लिए दुबारा बनाना पड़ेगा। (व्यवधान) अगर उस टाइम एम एल ए नहीं थे तो ये 6 महीने हो गये, इसलिए मंत्री की हैसियत नहीं रखते हैं। (व्यवधान) ये दोनों बातें साथ नहीं हो सकती हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह 2004 में अमेंडमेंट आया है ...(व्यवधान) आप 80 और 88 की बात फरमा रहे हैं। यह 2004 में अमेंडमेंट आया है, 12 मंत्री रहने जरूरी हैं, व 15 परसेंट से ज्यादा मंत्रिमण्डल में सदस्य नहीं रह सकते। (व्यवधान) आज सांवर लाल जाट ...(व्यवधान) की हैसियत से सदन में हैं, मंत्री की हैसियत से नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ये अध्यक्ष की व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, अब आपने रूलिंग दे दी। अब उसके बाद क्या है यह? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बजट का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है। (व्यवधान) जनता इस बजट का इंतजार कर रही है। (व्यवधान) बजट भाषण पूरा होने दें और उसके बाद चार दिन तक उस पर बहस करेंगे और उसके कोई बाधा नहीं पड़ेगी। (व्यवधान) बैठिये आप। बैठिये आप। यह क्या तरीका है? (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छे दिन आये हैं। जनता से जो वादे किये हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस पर बहस नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): जो बोलना चाह रहे हैं, उसमें आप समय नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं दूंगा, उसके बाद। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय रूलिंग दे चुके हैं ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के बाद बोलने का कुछ ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय ने अपनी रूलिंग दे दी है। (व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) वह बहस इसीलिए होती है ...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): राजस्थान की जनता के हितों की बात ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप यह चाहते हैं कि हम वाकआउट कर दें, हम वाकआउट करने वाले नहीं ...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप इनकी पूरी बात को सुनें। (व्यवधान) हम यहीं बैठेंगे, हम वाकआउट नहीं करेंगे। बात पहले सुनें। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने जो रूलिंग दी है, सांवर लाल जाट ...(व्यवधान) 6 महीने ...(व्यवधान) यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

माननीय मुख्य मंत्री। (व्यवधान)

आय-व्ययक

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-15 का उपस्थापन

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2014-15 के परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान प्रस्तुत कर रही हूं।

2. सुराज संकल्प यात्रा में मुझे राजस्थान की जनता से भरपूर स्नेह और समर्थन मिला। साथ ही मुझे राज्य की जनता के दु:ख-दर्द जानने और समझने का अवसर भी मिला। हमने भरतपुर और बीकानेर में पूरी सरकार के

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

साथ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर आम जन को सरकार द्वारा दी जा रही सेवाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। आजादी के 65 साल बाद जब हम पोस्टकार्ड से ई-मेल तक, ट्रंक काल से वीडियो काल तक और बैलगाड़ी से मैट्रो तक का फासला तय कर चुके हैं, आम आदमी बिजली, पानी, सड़क, डाक्टर और शिक्षकों की बुनियादी समस्याओं से आज भी जूझ रहा है।

3. 3 लाख 42 हजार किलोमीटर क्षेत्र में फैला राजस्थान United Kingdom और Italy जैसे अनेक राष्ट्रों से भौगोलिक रूप से बड़ा है। राजस्थान की 7 करोड़ से अधिक की जनसंख्या दुनिया के अनेक राष्ट्रों से अधिक है। राजस्थान शक्ति और समर की भूमि है। देश और विदेश में उद्योग, व्यापार और व्यवसाय स्थापित करने के लिए राजस्थान ने देश को अनेक प्रतिष्ठित उद्योगपति तथा professionals दिये हैं। राजस्थान के युवाओं ने इस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा व आई आई टी की प्रवेश परीक्षा में top किया है। प्रदेश के निवासियों में अद्वितीय क्षमता, प्रतिभा और potential है परन्तु यह भी सत्य है कि राजस्थान औद्योगिक तथा मानव विकास के indicators के परिप्रेक्ष्य में अभी भी अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। प्रदेश के 52 प्रतिशत से अधिक निवासी अभी भी कृषि पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं।

4. मेरा विश्वास है कि सरकार और जन-प्रतिनिधियों का आम जनता से रिश्ता ruling और ruled class का नहीं होना चाहिए। हम सब अपने समाज और अपने प्रदेश को बेहतर बनाने और प्रगति की इस यात्रा में partners हैं। मैं आज सदन से और राजस्थान की जनता से वर्तमान हालात openly share करना चाहती हूं। सबसे पहले राज्य की वित्तीय स्थिति। विगत 5 वर्ष के वित्तीय कुप्रबंधन ने एक बार पुन: राजस्थान की वित्तीय स्थिति का खस्ता हाल कर दिया है। वर्ष 1998 से 2003 के शासन में जितनी वित्तीय स्थिति पिछली सरकार ने बिगाड़ी थी, उससे भी खराब स्थिति अब की बार वर्ष 2008 से 2013 के शासन काल में हुई है।

5. मैं सदन को यह याद दिलाना चाहूंगी कि वर्ष 2003-04 में जब हमने कार्य संभाला था तब राजस्व घाटा 3 हजार 424 करोड़ रुपया था। वर्ष 2007-08 तक हमने इस घाटे को बदलकर 1 हजार 653 करोड़ रुपये का surplus कर दिया था। लेकिन, पिछले 5 वर्षों की अकुशल governance, राज्य को फिर राजस्व घाटे में ले आयी है। 2013-14 के संशोधित बजट अनुमानों के अनुसार यह राजस्व घाटा लगभग 2 हजार 500 करोड़ रुपये है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

6. इसी प्रकार वर्ष 2003-04 में, जब हमने बागडोर सम्भाली थी, तब fiscal deficit साढ़े 6 प्रतिशत से अधिक था। इसको घटाकर हमने वर्ष 2007-08 में 1.75 प्रतिशत कर दिया था। लेकिन पिछली सरकार इसको फिर से 3 प्रतिशत से अधिक करके छोड़कर गई है।

7. इससे राज्य के ऊपर कर्ज के भार का पहाड़ बन गया है। मार्च, 2008 के अंत में कर्ज तथा अन्य liabilities का कुल भार 77 हजार 138 करोड़ रुपये था। मार्च 2014 में यह 53 हजार 502 करोड़ रुपये से बढ़कर 1 लाख 30 हजार 640 करोड़ रुपये होना संभावित है। यही नहीं, हर परिवार rainy day के लिए बचत करता है। जिम्मेदार मुखिया होने के नाते मैंने भी ऐसे दिनों के लिए FRBM Act के माध्यम से राजस्थान विकास एवं गरीबी उन्मूलन निधि स्थापित की थी। इस कोष में हम लगभग 850 करोड़ रुपये जमा कर छोड़ गये थे। लेकिन पिछली सरकार ने राजस्थान की गरीब जनता की इस बचत को भी खतम कर दिया।

8. अफसोस की बात यह है कि इतना कर्ज लेकर भी इसको productive capital expenditure पर नहीं लगाया गया। बल्कि परिवार के एक लापरवाह मुखिया की तरह केवल राजस्व खर्चे बढ़ाने में ही उपयोग किया गया। वर्ष 2003-04 में जब इन्होंने सरकार छोड़ी तब अतिरिक्त लिये गये कर्ज का केवल 42 प्रतिशत ही पूंजीगत व्यय था। इसको बढ़ाकर हम वर्ष 2007-08 में 109 प्रतिशत तक ले गये, जो कि GSDP का 3.4 प्रतिशत था। राजस्व आधिक्य ensure करने के कारण हम इतना अधिक पूंजीगत व्यय कर पाये। लेकिन एक बार पुन: गैर-जिम्मेदारी का दौर आया और पिछले 5 वर्षों में पूंजीगत व्यय घटकर GSDP का 2.95 प्रतिशत ही रह गया। यहां तक कि वर्ष 2010-11 में तो यह net borrowings का केवल 67 प्रतिशत ही था।

9. ऐसा लगता है कि पिछले 5 वर्ष तक कोई वित्तीय प्रबन्धन था ही नहीं। मैं इसका एक और उदाहरण देना चाहूंगी। वर्ष 2008-09 तक, यानी कि जब हमने सरकार छोड़ी, तब राज्य की बिजली कम्पनियों का कुल घाटा 15 हजार करोड़ रुपये के लगभग था। पिछले 5 वर्षों में यह घाटा बढ़ कर 75 हजार करोड़ रुपये को भी पार कर गया। अत: पिछले 5 वर्षों में बिजली कम्पनियों का घाटा 60 हजार करोड़ रुपये बढ़ा, जो कि शुरुआत से लेकर वर्ष 2008-09 तक के घाटे का 4 गुणा है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

10. इस विकट वित्तीय स्थिति से उबरने की कुशलता, और काबिलियत, दोनों मेरी पार्टी और सरकार में हैं। इस संकटग्रस्त वित्तीय स्थिति के बावजूद 'समृद्ध और विकसित राजस्थान' तथा 'सब जन विकास और सब जन उत्थान' मेरी सरकार के मूल मंत्र होंगे। जनता ने हम पर विश्वास किया है और मेरी सरकार का संकल्प है कि हमें वर्ष 2020 तक राजस्थान को एक शक्तिशाली, विकसित और समृद्ध राज्य बनाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें राज्य की आर्थिक विकास दर को 12 प्रतिशत व प्रति व्यक्ति आय को 10 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ाना होगा। साथ ही, हमें राज्य में शहरीकरण व गांवों में शहरों जैसी आधुनिक सुविधाओं को बढ़ावा देना होगा। सड़क, बिजली, पानी, आवास, शैक्षणिक संस्थाओं तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करने हेतु वृहद स्तर पर investment करना होगा। विशेष तौर पर, सेवाओं के क्षेत्र में भी investment को आकर्षित करना होगा। GSDP के sectoral mix को परिवर्तित करना होगा। आर्थिक ढांचे को पुनर्गठित करना होगा और निजी क्षेत्र में investment को बढ़ावा देना होगा। हम अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर का सृजन करेंगे। इस उद्देश्य हेतु out of the box सोच के साथ, मैं अपने बजट भाषण में उठाये जा रहे कदमों, कार्यक्रमों तथा नीतिगत फैसलों का आगे उल्लेख करूंगी।

11. टीम राजस्थान, जिसमें मुख्य मंत्री तथा सरकार ही नहीं, अपितु समस्त सांसद, विधायक, अधिकारी-कर्मचारी, NGOs तथा प्रदेश की पूरी जनता शामिल है, के हौसले बुलन्द हैं, और यही हमारा बल है। मैं आशान्वित हूं कि हमारी टीम समर्पण के साथ कार्य करते हुए Vision 2020 के लक्ष्य को प्राप्त करेगी और फिर,

उड़ान वालों, हम उड़ानों पर भारी हैं,
परों की नहीं, अब हौसलों की बारी है।
राजस्थान रहे सदा अव्वल अपना,
यह सिर्फ मेरी नहीं, सभी की जिम्मेदारी है।।

आर्थिक तथा सामाजिक आधारभूत ढांचे का विकास

सड़क :

12. पिछली बार जब हमारी सरकार ने शासन संभाला, तो तुलना यह की जाती थी कि सड़कें अधिक खराब किस राज्य की हैं- मध्य प्रदेश की या

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

राजस्थान की? मैं गर्व के साथ कह सकती हूं कि वर्ष 2008 तक, जब हमने सरकार छोड़ी थी, तब तुलना यह होने लगी थी कि सड़कें गुजरात की बेहतर हैं या राजस्थान की।

13. पिछले 15 वर्षों में राज्य की सड़क व्यवस्था पुन: चरमरा गई है। पिछले वर्ष में मैंने राज्य में 14 हजार किलोमीटर का सफर तय किया है, और शायद ही मुझसे ज्यादा इस चरमराई हुई स्थिति से कोई परिचित होगा। बल्कि, मैं तो यह कहूंगी कि सदन के उस माननीय सदस्य को छोड़कर, जिसने पिछले 5 वर्षों में हवाई जहाज से नीचे पैर नहीं रखा, बाकी यहां उपस्थित पक्ष और विपक्ष, दोनों के ही सम्माननीय सदस्य राज्य की सड़कों की खस्ता हालत से भली-भांति परिचित हैं। जयपुर से दिल्ली की यात्रा तो एक सज़ा है। मुझे अफसोस है कि यू पी ए की सरकार होते हुए भी राज्य की कांग्रेस सरकार इस मुख्य सड़क तक को ठीक-ठाक हालत में नहीं ला पायी।

14. इस सदन में मैंने पहले भी अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति John Kennedy का यह quotation सुनाया था: ''America does not have great roads because it is a great country. It is a great country because it has great roads." अगर हमको विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होना है तो विश्वस्तरीय सड़क तंत्र भी हमको बनाना होगा। इसके लिए मेरी सरकार कटिबद्ध है। अत: इस महत्वपूर्ण आर्थिक ढांचे के निर्माण हेतु मैं घोषणा करती हूं:-

- राज्य के सभी state highways और major districts roads व 5 हजार किलोमीटर की ODRs, Tourist तथा धार्मिक महत्व की सड़कों को शामिल करते हुए, Public Private Partnership माडल पर 20 हजार किलोमीटर के एक सड़क विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा।
- मेरे गत शासन काल में हमने उत्तर-दक्षिण राजस्थान को जोड़ने के लिए 1 हजार किलोमीटर से अधिक के North-South Corridor का विकास किया था। अब राज्य के 6 प्रमुख मार्गों की 1 हजार किलोमीटर से अधिक लम्बाई की सड़कों का East-West Corridor के रूप में विकास किया जायेगा।
- 20 हजार किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का विकास roughage index 2 हजार 500 की गुणवत्ता तक करने के इस कार्यक्रम पर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

लगभग 70 हजार करोड़ रुपये का कुल विनियोजन किया जायेगा। जिसमें से राज्य सरकार द्वारा लगभग 20 हजार करोड़ रूपयों का विनियोजन किया जायेगा।

- राज्य सरकार ने लगभग 7 हजार किलोमीटर की सड़कों की DPR बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इन सड़कों के विकास कार्य इस वर्ष ही शुरू हो जायेंगे तथा वर्ष 2017 तक सभी 20 हजार किलोमीटर की सड़कों के कार्य भी शुरू कर दिये जायेंगे। इस कार्यक्रम के तहत राज्य में प्रतिदिन औसतन 15 किलोमीटर लम्बाई की सड़क बनाने का कार्य होगा। वर्ष 2014-15 में इस कार्यक्रम हेतु प्रारम्भिक रूप से 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।
- 20 हजार किलोमीटर लम्बाई की सड़कों के योजनाबद्ध विकास हेतु Rajasthan State Highway Authority का गठन किया जायेगा।

15. 1 लाख किलोमीटर लम्बाई की ODRs and Village Roads के रख-रखाव हेतु हम Output and Performance-based Roads Contract (OPRC) पद्धति अपनायेंगे, जिसके अन्तर्गत 8 वर्ष के लिए इन सड़कों के रख-रखाव हेतु सक्षम ठेकेदारों से संभागवार अनुबंध किया जायेगा। OPRC पद्धति पर सड़कों के रख-रखाव के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए इस वर्ष 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है।

16. राज्य की 9 हजार से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 0.5 से 2 किलोमीटर लम्बी सड़क का चयन कर आगामी तीन वर्षों में 1 हजार 800 करोड़ रुपये की लागत से RCC की सड़कें तथा नालियों का निर्माण कर इन्हें ग्रामीण गौरव पथ के रूप में विकसित किया जायेगा।

17. चालू वित्तीय वर्ष में 250 से 499 तक की आबादी के 530 गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए 509 करोड़ रुपये की लागत से 1 हजार 294 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का निर्माण करवाया जायेगा।

18. भरतपुर सम्भाग में आम जन की आकांक्षाओं के अनुसार धौलपुर, करौली तथा सवाई माधोपुर जिले में 36 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत के 12 सड़क कार्य स्वीकृत किये गये हैं। इनमें से प्रमुख रूप से करौली से कैलादेवी तक पदमार्ग; करौली कलक्ट्रेट सर्किल से शिकारगंज तक सीसी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सड़क; सवाई माधोपुर में करमोदा से कुस्थला के मध्य 13 किलोमीटर लम्बाई का बाई-पास; धौलपुर जिले के खारोली, नगर, मदासिल तथा हरलालपुरा में 4 submersible पुल व कैलादेवी से करौली एम ए डी आर संख्या-3 High level पुल को 2 लेन से 4 लेन के कार्य सम्मिलित हैं।

सड़क परिवहन :

19. राज्य के नागरिकों को शहरी, ग्रामीण व अन्तरराज्यीय सड़क परिवहन की सस्ती, सुलभ, सुरक्षित, कुशल और विश्वस्त सेवाएं उपलब्ध कराना मेरी सरकार के good governance agenda की प्रमुख प्राथमिकता है। राज्य में लगभग 16 हजार 388 किलोमीटर सड़कों का राष्ट्रीयकरण किया हुआ है। RSRTC यथा सम्भव प्रयास करने के बाद भी राष्ट्रीयकृत सड़कों से जुडे सभी शहरों और गांवों को सुलभ तथा पर्याप्त बस सुविधा उपलब्ध नहीं करा पायी है। परिणामत: राज्य में अवैध बसों और जीपों, इत्यादि के माध्यम से असुरक्षित परिवहन व्यापक रूप में प्रचलित हैं। अब वह जमाना नहीं रहा कि राजकीय उपक्रमों को कानूनी monopoly दी जाये। जनसंख्या भी बढ़ी है, और देश में निवेश करने की गुंजाइश भी है। हमारा मुख्य उद्देश्य जनता को सुविधाजनक एवं legal परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसलिए वर्तमान व्यवस्था में बदलाव लाकर सुधार करना होगा। अत: मैं राज्य के राष्ट्रीकृत मार्गों को de-nationalise करने की घोषणा करती हूं।

20. राज्य में RSRTC की बसों के संचालन हेतु 80 बस अड्डे हैं। इन बस अड्डों पर यात्रियों के लिए वांछित सुविधाओं का व्यापक अभाव है। इन बस अड्डों का उचित विकास कर, न केवल बसों का सुचारू संचालन किया जा सकता है, बल्कि यात्रियों को होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शापिंग, इत्यादि व निजी बसों की सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं। राज्य के प्रमुख बस अड्डों को आधुनिक रूप में विकसित करने तथा वहां से रोडवेज तथा निजी बसों के सुलभ संचालन हेतु मैं राज्य में राजस्थान स्टेट बस-पोर्ट सर्विसेज कारपोरेशन (RSBSC) के गठन की घोषणा करती हूं। मैं इस वर्ष के परिवर्तित बजट में RSRTC के माध्यम से बस-पोर्ट सर्विसेज कारपोरेशन को equity देने के लिए 360 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रही हूं।

21. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अनेक वर्षों से घाटे में चल रहा है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों में अरबों रूपयों का अनुदान उपलब्ध करवाने के बावजूद भी राजस्थान रोडवेज का संचित घाटा 2013-14 तक 1

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हजार 974 करोड़ रुपये हो गया है। रोडवेज, राज्य सरकार से सहायता और ऋण लेकर, कर्मचारियों के पेंशन फण्ड से उधार लेकर और बैंकों से ऋण लेकर, किसी तरह से बसों का संचालन कर रहा है। इस स्थिति को सुधारना आवश्यक है। राज्य सरकार ने RSRTC के साथ Reform Linked Assistance कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से RSRTC के कर्मचारियों के jobs पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। I repeat, कोई भी jobs पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने commitments की पूर्ति करने पर राज्य सरकार RSRTC को 10 करोड़ रुपये प्रति माह का अनुदान देगी। मुझे विश्वास है कि reform linked agenda कार्यक्रम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर RSRTC एक अधिक सशक्त और प्रभावी operator के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकेगी।

22. वर्ष 1995 में भाजपा सरकार ने उदारीकरण की दृष्टि से अन्तरराज्यीय सीमाओं पर चेक-पोस्ट्स समाप्त की थीं। इससे अन्तरराज्यीय यातायात में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे trade and commerce में बढ़ोतरी हुई। लेकिन वर्ष 1999 से 2000 में कांग्रेस सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग की चेक-पोस्टों को पुन: स्थापित किया। वर्ष 2008 में हमने पुन: वाणिज्यिक चेक-पोस्टों को समाप्त कर दिया। इसी क्रम में, अब मैं अन्तरराज्यीय सीमाओं पर Computerized Border Check Post एवं weigh bridges सार्वजनिक-निजी-सहभागिता के माध्यम से स्थापित करने की घोषणा करती हूं।

हवाई परिवहन :

23. 1970s के दशक में जयपुर, उदयपुर एवं जोधपुर वायु सेवा से जुड़े हुए थे। समय के साथ उम्मीद तो यह थी कि राज्य में वायुयान सेवाएं बढ़ेंगी और राजस्थान में अन्य पर्यटन तथा धार्मिक स्थल भी इन सेवाओं से जुड़ेंगे, लेकिन हुआ बिलकुल ही विपरीत। आज जयपुर से राजस्थान के किसी भी अन्य शहर तक वायुयान सेवा उपलब्ध नहीं है। हम भारत सरकार के उपक्रम पवन हंस से धार्मिक स्थलों तक हैलिकाप्टर सेवाएं प्रारम्भ करने के लिए MoU कर रहे हैं। राज्य सरकार ने अपने दो वायुयानों को भी एयर टैक्सी के रूप में उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। हमने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य में जल्द ही Intra-State Non-scheduled हवाई सुविधा शुरू की जायेगी। पर्यटन राजस्थान का एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्तम्भ है। अत: हमने

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

यह भी निर्णय लिया है कि राजस्थान में उपलब्ध 16 हवाई पट्टियों में सुधार कर, उन पर भी वायुयान कम्पनियों को राजस्थान में operate करने हेतु आकर्षित किया जायेगा। सवाई माधोपुर की air strip को बढ़ा कर शीघ्र क्रियाशील किया जायेगा।

ऊर्जा :

24. हमारी सरकार का लक्ष्य राज्य के सभी निवासियों को 24x7 बिजली उपलब्ध कराना है। साथ ही, मैं यह भी चाहती हूं कि राज्य में कृषि विद्युत connections के लिए कोई waiting list न हो व सभी किसानों को उनके आवेदन करते ही विद्युत कनेक्शन मिलें। राज्य के सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ताओं को भी पर्याप्त और गुणवत्तायुक्त बिजली मिले। मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल में ही विद्युत की ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है।

25. जैसा कि मैं प्रारम्भ में कह चुकी हूं, राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों की वर्तमान स्थिति अत्यन्त ही चिंताजनक है। तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों का संकलित घाटा 31 मार्च, 2014 को लगभग 75 हजार करोड़ रुपये हो चुका है। 36 हजार करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋणों को दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तन करने तथा उसमें से लगभग 18 हजार करोड़ रुपये के ऋणों का भार राज्य सरकार द्वारा अपने ऊपर लिये जाने के बाद भी इन विद्युत वितरण कम्पनियों के ऋणों पर प्रति वर्ष लगभग 10 हजार करोड़ रुपये केवल ब्याज के भुगतान में खर्च होता है। जिसके कारण बिजली की दर 1 रुपये 80 पैसे प्रति यूनिट बढ़ जाती है। राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रबन्धन को व्यापक रूप से सुधारना बहुत आवश्यक है। हम भारत सरकार के सहयोग से विद्युत वितरण कम्पनियों के ऋणों का भी व्यापक पुनर्गठन करेंगे और विद्युत वितरण कम्पनियों को अगले 3 वर्षों में लघु अवधि ऋणों की समस्या से पूरी तरह से मुक्त करने का प्रयास करेंगे। इस हेतु बिजली कम्पनियों के कर्मचारियों के jobs को सुरक्षित रखते हुए राज्य के कुछ शहरों में विद्युत वितरण का कार्य Public Private Partnership के आधार पर किया जायेगा।

26. गत सात माह में कालीसिंध 600 मेगावाट यूनिट-1, छबड़ा 250 मेगावाट यूनिट-3 तथा रामगढ़ स्टीम टर्बाइन 50 मेगावाट में विद्युत उत्पादन वाणिज्यिक आधार पर प्रारम्भ कर राज्य की उत्पादन क्षमता में कुल 900

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मेगावाट की वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट छबड़ा चतुर्थ इकाई व 600 मेगावाट कालीसिंध द्वितीय, कुल 860 मेगावाट क्षमता की इकाइयों में इसी वित्तीय वर्ष में commercial production प्रारम्भ किया जायेगा। सूरतगढ़ व छबड़ा में supercritical technology आधारित प्रत्येक 2x660 मेगावाट परियोजनाओं पर त्वरित गति से निर्माण कार्य किया जा रहा है। गैस का उचित मूल्य निर्धारण होने के पश्चात् 160 मेगावाट रामगढ़ गैस परियोजना के चतुर्थ चरण का निर्माण कार्य भी इसी वर्ष प्रारम्भ किया जायेगा। राज्य के विद्युत उत्पादन निगम का अगले 5 वर्षों में 6 हजार 500 मेगावाट से अधिक की नई विद्युत क्षमता स्थापित करने का कार्यक्रम है।

27. राज्य में 31 दिसम्बर, 2013 तक लगभग 3 लाख 11 हजार कृषि कनेक्शन आवेदन लम्बित हैं। इन सभी आवेदनों के शीघ्र निस्तारण हेतु मेरी सरकार ने महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले किए हैं। हम वर्ष 2014-15 में 40 हजार कृषि कनेक्शन जारी करेंगे। ये कनेक्शन 31 दिसम्बर, 2013 की वरीयता क्रम से दिए जायेंगे। परन्तु, ऐसे किसान जिन्होंने 31 दिसम्बर, 2013 तक कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन किया हुआ है लेकिन बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति योजना के तहत प्राथमिकता से कनेक्शन लेना चाहते हैं, ऐसे किसानों को पूंजीगत राशि जमा कराने पर, बूंद-बूंद सिंचाई पर लागू दर से विद्युत शुल्क देने पर प्राथमिकता से कनेक्शन उपलब्ध करवाये जायेंगे।

28. जल स्तर तेजी से नीचे गिरने के कारण डार्क जोन में कृषि विद्युत कनेक्शन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। परन्तु, किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए डार्क जोन में कृषि कनेक्शन दिये जाने पर प्रतिबंध लगाने के स्थान पर, राज्य सरकार किसानों द्वारा विद्युत कनेक्शन चाहे जाने पर उन्हें पूर्ण पूंजीगत लागत और विद्युत नियामक आयोग द्वारा कृषि हेतु स्वीकृत पूरी दर का भुगतान करने पर on demand कनेक्शन देगी।

29. राज्य के डार्क जोन से बाहर सामान्य क्षेत्रों में भी वर्ष 2015-16 से सरकार बूंद-बूंद सिंचाई योजना के तहत on demand कृषि कनेक्शन उपलब्ध करायेगी।

30. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा 265 करोड़ रुपये की लागत से 169 किलोमीटर लम्बाई की 400 केवी की double circuit बीकानेर-सीकर विद्युत प्रसारण लाइन का निर्माण करवाया जायेगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

31. राज्य में वर्ष 2014-15 में 400 केवी के 3, 220 केवी के 9 तथा 132 केवी के 11 नये ग्रिड सब-स्टेशन पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इसके साथ ही 33 केवी के 220 सब-स्टेशन स्थापित किये जायेंगे।

32. ऊर्जा क्षेत्र में अन्य सुधार करने की भी आवश्यकता है। वर्तमान में उत्पादन व प्रसारण कम्पनियों का debt equity ratio ठीक नहीं है और equity केवल 20 प्रतिशत है। इस ratio को 70:30 करने से, और इस equity पर लाभ अर्जित करने की अनुमति देने से विद्युत उत्पादन निगम व प्रसारण निगम बाजार से अंश पूंजी प्राप्त कर सकेंगे और कम ब्याज दर पर ऋण उठाने में भी सक्षम हो पायेंगे। (व्यवधान)

33. भारत सरकार के उपक्रम NTPC और Power Grid की तरह राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के साथ-साथ राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम को भी सशक्त बनाने के लिए राज्य की अंश पूंजी के 10 प्रतिशत राशि का विनिवेश किया जायेगा। मुझे विश्वास है कि काफी कम समय में ही राज्य के ये दोनों निगम विद्युत क्षेत्र में अपने आप को सशक्त इकाइयों के रूप में स्थापित कर सकेंगे।

34. मैंने फरवरी 2014 में अन्तरिम बजट प्रस्तुत करते समय कहा था कि राजस्थान अगले 5 वर्षों में सोलर ऊर्जा से 25 हजार मेगावाट क्षमता स्थापित करने का कार्यक्रम शुरू करेगा। मुझे खुशी है कि इस दिशा में आवश्यक जरूरी कदम उठाए गये हैं। राज्य सरकार शीघ्र ही 25 हजार मेगावाट क्षमता स्थापित करने के कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए नई सोलर ऊर्जा नीति की घोषणा करेगी।

35. इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राज्य में लगभग 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये का विनियोजन होगा, जिसमें से लगभग 25 से 40 हजार करोड़ रुपये का विनियोजन अंश पूंजी के रूप में होगा। राज्य सरकार 1 हजार मेगावाट से बड़े सौर ऊर्जा Parks को निजी व संयुक्त क्षेत्र में स्थापित करना प्रोत्साहित करेगी। भूमि के योगदान सहित ऐसे संयुक्त उपक्रमों में राज्य सरकार 26 प्रतिशत तक अंश पूंजी लेने के लिए भी तैयार होगी।

36. राज्य के दूरदराज के गांवों में जहां जनसंख्या कम है, विद्युत ग्रिड से ऊर्जा की आपूर्ति करना अत्यन्त खर्चीला है। साथ ही, reliable विद्युत आपूर्ति भी नहीं हो पाती है। ऐसे सभी क्षेत्रों में राज्य सरकार local solar grid और

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

stand alone solar systems के माध्यम से विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने का व्यापक कार्यक्रम हाथ में लेगी। ऐसे 10 हजार गांवों तथा ढाणियों में इस पद्धति से अगले 5 वर्षों में विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के कार्यक्रम की मैं घोषणा करती हूं। इस कार्यक्रम की इसी वर्ष से शुरुआत करने के लिए मैं राज्य आयोजना मद में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रही हूं।

37. नवीन ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत का राज्य तथा देश के ग्रिड में transmission हेतु जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर तथा बीकानेर जिलों में Rajasthan Renewable Energy Transmission Project के तहत 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक का व्यय कर ग्रीन ऊर्जा प्रसारण तंत्र विकसित किया जायेगा।

पेयजल :

38. 1 लाख 21 हजार 133 गांव-ढाणियों में बसे, राज्य के ग्रामीण निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। अब तक 69 हजार 85 गांव-ढाणियों को ही पूर्ण रूप से पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा सकी है। ग्रामीण पेयजल व्यवस्था में भी व्यापक सुधार आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों तथा PHED के माध्यम से 5 लाख से अधिक हैंडपंप लगाये गये हैं। 6 हजार 523 जनता जल योजनाओं को पंचायतों को सुपुर्द किया जा चुका है। साथ ही 17 हजार से अधिक अन्य ग्रामीण जल योजनाओं के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पिलाने की व्यवस्था की गई है। हैंडपंपों के लोकेशन का चयन, उन पर नियंत्रण और उनके रखरखाव में आ चुकी कुरीतियों का सुधार आवश्यक है। जनता जल योजनाओं के लिए PHED, पंचायत राज विभाग तथा पंचायतों के over lopping नियंत्रण को भी समाप्त किया जाना आवश्यक है।

39. पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने और उन्हें ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं के लिए प्रभावी रूप से उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से, मैं घोषणा करती हूं कि सभी पंचायत स्तरीय पेयजल योजनाओं को एक बार PHED के माध्यम से दुरुस्त कर पंचायतों को सुपुर्द किया जायेगा। पंचायतों के पास उपलब्ध TFC तथा SFC अनुदान का एक निर्धारित अंश, पेयजल आपूर्ति के लिए उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। इन योजनाओं का सुनियोजित तथा कुशल तकनीकी प्रबंधन हो सके, इस हेतु पर्याप्त इंजीनियर्स तथा अन्य तकनीकी स्टाफ प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर उपलब्ध कराये जायेंगे और पंचायत समितियों को इन योजनाओं के संचालन तथा नियंत्रण का उत्तरदायित्व सौंपा जायेगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

40. वर्ष 2014-15 में कुल 3 हजार 173 नये गांव-ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें 570 अनुसूचित जाति बाहुल्य, 390 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य तथा 100 अल्पसंख्यक बाहुल्य गांव-ढाणियां भी शामिल हैं।

41. राज्य में 23 हजार 956 गांव ढाणियों में गुणवत्ता प्रभावित पेयजल समस्या है। RO तकनीक पर आधारित 800 से अधिक की जनसंख्या वाले गुणवत्ता प्रभावित habitations में 1 हजार RO संयंत्र लगाये जाने का कार्य भी हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है। अगले 5 वर्षों में मेरी सरकार प्रयास करेगी कि ऐसे 5 हजार से अधिक प्रभावित गांवों-ढाणियों में RO अथवा अन्य तकनीकी संयंत्र लगाकर उन्हें शुद्ध तथा अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जाये।

42. राजस्थान में देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.5 प्रतिशत व मानव जनसंख्या 5.6 प्रतिशत है, पर सतही जल मात्र 1.15 प्रतिशत है। मैं जानती हूं कि पेयजल की बड़ी परियोजनाओं के लिए भारी investment आवश्यक होता है। फिर भी, आश्चर्य का विषय है कि वर्ष 2008-09 से 2011-12 के मध्य जल आपूर्ति तथा sanitation पर राज्य में पूंजीगत व्यय के अंश में गिरावट आयी। फिर यकायक वर्ष 2012-13 व 2013-14 में पेयजल की 41 बड़ी योजनायें बिना वित्तीय प्रबंधन किये स्वीकृत कर दी गयीं। वर्ष 2013-14 में गत सरकार के कार्यकाल की समाप्ति के समय 67 वृहद पेयजल परियोजनाएं, जिनमें 25 हजार 976 करोड़ रुपये का पूंजीगत विनियोजन होना है, विभिन्न स्तरों पर अपूर्ण थीं। इसके अलावा, 10 अन्य वृहद योजनाओं पर भी 3 हजार 600 करोड़ रुपये से अधिक राशि का commitment किया गया।

43. आगामी 5 वर्षों में हम पेयजल की वृहद परियोजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। मैंने सभी 67 लम्बित योजनाओं की समीक्षा की है। मैंने राज्य का अंतरिम बजट प्रस्तुत करते समय वृहद परियोजनाओं के लिए 2 हजार 171 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। मैं अब 289 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान कर रही हूं ताकि निम्न 12 परियोजनाओं को इसी वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण किया जाये:-

- फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना, भिनाय-मसूदा तृतीय चरण, अजमेर- लागत 74 करोड़ 65 लाख रुपये।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

- शहरी जलापूर्ति योजना मकराना, जिला नागौर का पुनर्गठन-लागत 48 करोड़ 70 लाख रुपये।
- फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना, पीसांगन, जिला अजमेर - लागत 221 करोड़ 34 लाख रुपये।
- ग्रामीण जलापूर्ति योजना, रेवा, जिला झालावाड़ – लागत 48 करोड़ 50 लाख रुपये।
- जलापूर्ति योजना भीमनी, जिला झालावाड़ - लागत 30 करोड़ 80 लाख रुपये।
- जलापूर्ति योजना माधवी, जिला झालावाड़ – लागत 30 करोड़ 87 लाख रुपये।
- जलापूर्ति योजना खुडियाला-जियाबेरी-आगोलाई, जिला जोधपुर – लागत 74 करोड़ 38 लाख रुपये।
- नर्मदा–FR – लागत 303 करोड़ 38 लाख रुपये।
- जवाई पाइप लाइन परियोजना द्वितीय चरण जिला पाली – लागत 199 करोड़ 40 लाख रुपये।
- देवास परियोजना द्वितीय चरण जिला उदयपुर – लागत 379 करोड़ 19 लाख रुपये।
- बीसलपुर बांध से नावां तहसील के 72 गांवों की ग्रामीण जलापूर्ति योजना जिला नागौर – लागत 128 करोड़ 72 लाख रुपये।
- जलापूर्ति योजना कोलायत तहसील जिला बीकानेर – लागत 96 करोड़ रुपये।

44. राज्य के जल संसाधनों पर पेयजल की सर्वोत्तम प्राथमिकता है। हमें दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रीयल कोरिडोर क्षेत्र के विकास के साथ 2 नये शहरों का निर्माण करना है। भारत सरकार की 100 smart cities की योजना में भी हम कम से कम 5 smart cities का निर्माण करना चाहते हैं। हम राज्य के अनेक शहरों को शिक्षा, मेडिकल और Tourism Hubs के रूप में विकसित करना चाहते हैं। जल की व्यवस्था सतही स्रोतों से ही सम्भव है, जो कि राज्य की सीमा क्षेत्रों में ही उपलब्ध है। इस महत्वाकांक्षी शहरीकरण और पूरे राज्य में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मैं Rajasthan Drinking Water Grid की स्थापना पर कार्य प्रारम्भ करने की घोषणा करती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

45. राज्य में 1998 के पश्चात् water charges में बदलाव नहीं किया गया है। इसके पश्चात् विद्युत चार्जेज, वेतन तथा अन्य inputs की कीमतों में वृद्धि हुई है। राज्य जल नीति-2010, राष्ट्रीय जल नीति-2012 तथा तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों में कम से कम संधारण एवं संचालन के व्यय की वसूली किया जाना वांछनीय बताया है। राज्य को अगर भारत सरकार से JNNURM के रुके हुए 227 करोड़ रुपये और शहरी विकास की बड़ी योजनाओं के लिए मिलने वाली सहायता लेनी है, तो जल प्रदाय योजना के संचालन एवं संधारण के सम्बन्ध में इस योजना की conditionality को मानना होगा। अत: राज्य में water charges की समीक्षा कर इन्हें तर्कसंगत बनाया जायेगा। साथ ही JNNURM की Conditionality को पूरा करने के लिए राज्य में urban development Tax को भी तर्कसंगत बनाकर लागू किया जायेगा।

जल संसाधन :

46. राज्य के सीमित जल संसाधनों के संदर्भ में राज्य के नदी बेसिनों में उपलब्ध जल का पूर्ण और समग्र विकास करना अति आवश्यक है। Four Waters Concept आधारित योजना यथा वर्षा जल, सतही जल, भूजल तथा soil moisture चारों प्रकार के जलों के एकीकृत प्रबंधन पर आधारित है। हमने राज्य के नदी basins का विकास Four Waters Concept पर करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के माध्यम से हम नदी तथा नालों को पुनर्जीवित करने और नदियों को जोड़ने का भी कार्य करेंगे। इस कार्यक्रम में स्थानीय किसानों और निवासियों की सक्रिय भागीदारी होगी। राज्य के river basins में उपलब्ध Surplus जल के उपयोग तथा एक बेसिन से दूसरे बेसिन में diversion से सम्बन्धित परियोजनाओं को लागू करने हेतु मैं Rajasthan River Basin Authority के गठन की घोषणा करती हूं।

47. Four Waters Concept पर लगभग 35 करोड़ रुपये की लागत से दो पायलट परियोजनाएं चम्बल की सहायक नदी आहु तथा माही की सहायक नदी बुनाद पर शुरू की हैं। इन पायलट परियोजनाओं को आगामी वर्ष में वर्षा ऋतु से पूर्व पूर्ण कराया जायेगा। साथ ही, जलग्रहण विभाग द्वारा भी Four waters concept के सिद्धान्तों पर कार्य करते हुए इस परियोजना पर 3 करोड़ 45 लाख रुपये का व्यय किया जायेगा।

48. जल संसाधन विभाग के माध्यम से निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं से सम्बन्धित कार्यों की मैं घोषणा करती हूं:-

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

-Japanese International Co-operation Agency (JICA) द्वारा पोषित राजस्थान लघु सिंचाई सुधारीकरण परियोजना के अन्तर्गत 60 उप परियोजनायें वर्ष 2014-15 में पूर्ण कर 35 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र को लाभान्वित किया जायेगा।

-समर सरोवर-अलवर पुनरुद्धार का कार्य, उबापान-उदयपुर, रोहिणी-उदयपुर लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाकर, कुल 2 हजार 803 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र का सृजन किया जायेगा।

-जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील बेगूं में ब्राह्मणी नदी पर बांध का निर्माण कर बीसलपुर बांध में water diversion के कार्य हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करवायी जायेगी।

-झालावाड़ जिले की खानपुर तहसील में स्थित भीमसागर बांध की नहरों से टेल पर स्थित कृषकों को समुचित पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु 5 करोड़ रुपये की लागत से बांध एवं नहरों के सुदृढ़ीकरण के कार्य करवाये जायेंगे।

-माही परियोजना, बांसवाड़ा के नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु लगभग 20 करोड़ रुपये के कार्य करवाये जायेंगे।

-चम्बल नहर परियोजना की दायीं मुख्य नहर के जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य 75 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।

-चंबल सिंचित क्षेत्र में जल का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए बारां जिले में 4 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से 13 पक्के धोरों का निर्माण कार्य करवाया जायेगा।

-पाली जिले में स्थित जंवाई बांध के सुदृढ़ीकरण का कार्य 5 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

49. राज्य के पश्चिमी भाग में इंदिरा गांधी नहर परियोजना (IGNP), गंगनहर परियोजना, भाखड़ा नहर परियोजना तथा सिद्धमुख नोहर नहर परियोजना जीवन की life line है। IGNP योजना के प्रथम चरण का निर्माण हुए भी अब 50 साल हो चुके हैं। इन नहरों की सफाई व पुनरुद्धार तथा लिफ्ट नहर क्षेत्रों में, विशेषकर बूंद-बूंद व फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा का विस्तार किया जाना आवश्यक है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

50. अगले 3 वर्षों में इंदिरा गांधी नहर प्रथम चरण की नहरों की सफाई व मरम्मत के साथ-साथ extension renovation and modernisation के कार्य करवाये जायेंगे। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मैं आवश्यक प्रावधान कर रही हूं।

51. इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की द्वितीय चरण की लिफ्ट परियोजनाओं के माध्यम से 3 लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई होती है। इस क्षेत्र में ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम से चरणबद्ध रूप से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगभग 1 हजार 500 करोड़ रुपये की योजना पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

52. बीकानेर सम्भाग, विशेषकर हनुमानगढ़ जिले में अभी भी सेम की गम्भीर समस्या है। इसके समाधान हेतु विशेषज्ञों की टीम बनाकर विस्तृत योजना तैयार की जायेगी।

53. भाखड़ा नहर प्रणाली की शेष 374 किलोमीटर लम्बी नहरों को पक्का कराने की परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण की नहरों तथा कंवर सेन लिफ्ट प्रणाली का पुनरुद्धार की परियोजना हेतु DPRs तैयार किये जायेंगे और उनकी क्रियान्विति भी होगी।

54. राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि गंग नहर परियोजना, सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना, भाखड़ा नहर प्रणाली और अमर सिंह सब ब्रांच परियोजना के शेष रहे खालों का भी निर्माण कराया जायेगा। इस हेतु गंग नहर परियोजना के फेज प्रथम में 44 हजार 875 हैक्टेयर में 185 करोड़ रुपये की लागत से पक्के खालों के निर्माण कार्य हेतु DPR तैयार की जाएगी। इसी तरह से सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना में 23 हजार 822 हैक्टेयर में 115 करोड़ रुपये की लागत से पक्के खालों का निर्माण कार्य, अमर सिंह सब ब्रांच परियोजना में 11 हजार 720 हैक्टेयर में 55 करोड़ रुपये की लागत से पक्के खालों का निर्माण कार्य और भाखड़ा नहर प्रणाली की जहां नहरें पक्की बन चुकी हैं, उसके 1 लाख 13 हजार 420 हैक्टेयर में 451 करोड़ रुपये की लागत से पक्के खालों के निर्माण कार्य हेतु DPRs बनाई भी जायेंगी और उनकी क्रियान्विति भी की जायेगी।

55. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (IGNP) के साथ बनाई गई सड़कों का उपयोग अब न केवल नहरों के रखरखाव हेतु होता है बल्कि लोगों के

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आवागमन में भी ये सड़कें उपयोग में आती हैं। हमने जल संसाधन विभाग और IGNP की 476 किलोमीटर लम्बाई की 98 सड़कों के संधारण तथा पुनर्निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को इन्हें हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इन सड़कों का अब चरणबद्ध तरीके से सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

शहरी आधारभूत संरचना :

56. हमने सुनियोजित शहरीकरण और शहरों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए कई अहम फैसले लिये हैं।

57. शहरों की पेयजल, सीवरेज तथा अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास की परियोजनाओं का क्रियान्वयन 3 संस्थाओं, Rajasthan Urban Infrastructure Development Project (RUIDP), Rajasthan Urban Infrastructure Finance & Development Corporation (RUIFDCO) and Rajasthan Awas Vikas and Infrastructure Ltd. (RAVIL) में बंटा है। PHED द्वारा भी ऐसी कुछ योजनाओं का निर्माण कार्य हाथ में लिया हुआ है। RUIFDCO में RUIDP तथा RAVIL का विलय कर इसका Rajasthan Urban Drinking Water, Sewerage and Infrastructure Corporation के रूप में पुनर्गठन कर सभी पेयजल तथा sewerage योजनाओं को इसमें स्थानान्तरित किया जायेगा। इस पुनर्गठित कारपोरेशन में JNNURM, UIDSSMT तथा शहरी infrastructure की अन्य परियोजनाओं के कार्यों को भी स्थानान्तरित किया जायेगा।

58. राज्य के 6 शहरों-पाली, टोंक, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर तथा झुंझुनूं में 2 हजार 160 करोड़ रुपये का निवेश कर शहरी जल प्रबंधन करने के लिए Asian Development Bank से 250 million dollar का प्रोजेक्ट लोन लिया जायेगा। साथ ही, 250 million dollar का प्रोग्राम लोन राज्य में नीतिगत सुधारों के क्रियान्वयन के लिए लिया जायेगा। यह योजना भी अब पुनर्गठित Rajasthan Urban Drinking Water, Sewerage and Infrastructure Corporation के माध्यम से क्रियान्वित की जायेगी।

59. राज्य के शहरों, सेटेलाइट टाउन, कोलोनीज तथा हाउसिंग के सुनियोजित विकास के लिए राज्य सरकार निम्न बिल लायेगी:-

- शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु गुजरात के Country and Town Planning Act की तर्ज पर Rajasthan Town Planning and Urban Development Bill,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

- Apartments के सामूहिक उपयोग के क्षेत्रों व सुविधाओं के उपयोग तथा स्वामित्व का विधिक अधिकार क्रेताओं को दिये जाने के लिए Rajasthan Apartment Ownership Bill,
- नगरीय क्षेत्रों में भूमि के सर्वे, भूमि सम्बन्धी रिकार्ड की मेंटीनेंस तथा टाइटल के सर्टिफिकेशन हेतु Rajasthan Urban Land (Certification of Title) Bill.

60. राज्य में स्थित असीमित प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा निर्मित हेरिटेज के संरक्षण की दृष्टि से Heritage conservation Bill लाया जायेगा।

61. राज्य सरकार द्वारा कुल 184 नगरपालिका क्षेत्रों में से 179 के मास्टर प्लान अनुमोदित किये जा चुके हैं। वर्ष 2014-15 में शेष 5 शहरों-लोसल, कैथून, पीलीबंगा, भीलवाड़ा व करौली के मास्टर प्लान लागू किये जायेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्थान उप क्षेत्र योजना को इस वर्ष लागू किया जायेगा।

62. पूर्ववर्ती सरकार ने 3 हजार करोड़ से अधिक की राशि का विनियोजन कर जयपुर में मात्र 12 किलोमीटर की मैट्रो रेल बनाने का कार्य शुरू किया। आर्थिक दृष्टि से जयपुर में मैट्रो रेल की स्थापना एक अच्छे निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। जैसा कि मैंने पूर्व में सदन में अपने भाषण में कहा था, जयपुर शहर की मैट्रो पर लगाये जा रहे 3 हजार 400 करोड़ रुपये से 110 रोड ओवरब्रिज अथवा 5 हजार किलोमीटर लम्बाई की सड़कें पूरे प्रदेश में बन सकती थीं। यही नहीं, इस मैट्रो को चलाने में कम से कम 60 से 80 करोड़ रुपये का वार्षिक नुकसान राज्य को उठाना होगा। यानी, राजस्थान के गांवों हेतु 30 से 40 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें हर वर्ष कम बनेंगी।

63. विशेषज्ञों की मानें तो इस परियोजना को लाने में जल्दबाजी की गई। परियोजना ही नहीं, मैट्रो की ट्रेन लाने में भी अनावश्यक जल्दबाजी दिखाई गई। चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक की लाइन पर commercial operation 44 महीनों में शुरू होगा, यानी कि वर्ष 2018 में लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस phase के लिये 100 करोड़ रुपये की दो मैट्रो रेल वर्ष 2012 में ही खरीदने का निर्णय ले लिया। अब साढ़े तीन वर्षों तक इन मैट्रो रेल में जंग लगेगा।

64. लेकिन Phase-1A में खर्च हुए 2,100 करोड़ रुपये उपयोग किये बिना भी छोड़े नहीं जा सकते। हमारा विश्लेषण बताता है कि Phase-1B नहीं बनने से operation losses और बढ़ेंगे। इस विश्लेषण के आधार पर हमने निर्णय लिया है कि Phase-1B का कार्य पूरा कराया जायेगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

ग्रामीण आधारभूत संरचना :

65. राज्य सरकार द्वारा गांव के समग्र विकास के दृष्टिकोण से ''श्री योजना'' के तहत 5 योजनाओं, ग्राम स्वच्छता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और विद्युत योजनाओं का ग्राम स्तर पर convergence किया जाएगा। इसी प्रकार, बी पी एल परिवार को केन्द्र बिन्दु बनाकर स्वावलम्बन योजनान्तर्गत विभिन्न व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का convergence कर उन्हें भी लाभान्वित कराने का प्रयास किया जायेगा। इस योजना के लाभों की delivery व monitoring भामाशाह प्लेटफार्म से की जायेगी।

66. राज्य के कई क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में पिछड़े हैं। ऐसे जनजाति, मगरा, डांग, गूजर बाहुल्य व मेवात क्षेत्र में infrastructure विकास और सेवाओं के लिए गठित संस्थायें, मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड, मगरा क्षेत्रीय विकास बोर्ड, देवनारायण बोर्ड और डांग क्षेत्रीय विकास बोर्ड को strengthen न किया जायेगा। ये संस्थाएं अपने कार्यक्षेत्र में infrastructure विकास के लिए चल रही सभी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए infrastructure gaps चिह्नित करेंगी। मैं अगले 5 वर्षों के लिए इन संस्थाओं के माध्यम से infrastructure gaps के विकास के लिए जनजाति क्षेत्र हेतु 1 हजार करोड़ रुपये, मेवात क्षेत्र हेतु 300 करोड़ रुपये, मगरा योजना हेतु 300 करोड़ रुपये, देवनारायण योजना के लिए 500 करोड़ रुपये व डांग क्षेत्र हेतु 300 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा करती हूं।

67. ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और रोजगार सृजन करने के लिए व सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना पुन: शुरू की जायेगी। वर्तमान में चल रही ग्रामीण जन भागीदारी योजना को गुरु गोलवलकर जन भागीदारी योजना में सम्मिलित कर इस वर्ष योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

68. भारत सरकार ने हमारी मांग स्वीकार कर महानरेगा योजना में संपत्ति सृजन करने वाले कार्यों को भी सम्मिलित कर लिया है। राज्य में Rail under bridge व खालों के निर्माण कार्य महानरेगा योजना से convergence कर करवाये जायेंगे1

69. कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का infrastructure स्ट्रक्चर विकसित करने व सभी कृषि जोतों का 5 साल में एक

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

बार मृदा परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 55 नवीन सोइल Soil testing laboratories की स्थापना की जायेंगी, जिन पर 18 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

70. भरतपुर में एक नवीन बीज परीक्षण प्रयोगशाला तथा एक कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी, जिसके लिए इस वर्ष 1 करोड़ 16 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

71. राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा 3 लाख 10 हजार मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता के गोदामों का निर्माण करवाया जायेगा, जिस पर 150 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

सामाजिक आधारभूत संरचना :

72. वर्ष 2014-15 में 4 हजार 850 नवीन आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण, 41 हजार 932 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत तथा 611 आंगनबाड़ी भवनों के upgradation हेतु 276 करोड़ 42 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

(12.00 बजे)

73. अलवर, चिड़ावा, सेमारी, बगड़, आबू पर्वत और अम्बा माता में अनुसूचित जाति के 6 तथा अलवर, बगरू, खण्डेला, विकास नगर तथा भवराना में अनुसूचित जनजाति के 5 बालक छात्रावास भवनों का निर्माण कराया जायेगा, जिनकी कुल लागत 26 करोड़ 66 लाख रुपये होगी। इन छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 2014-15 में 3 करोड़ 86 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

74. अल्पसंख्यक बाहुल्य 8 ब्लाक्स, कामां, नगर, चौहटन, रामगढ़, किशनगढ़ बास, लक्ष्मणगढ़, तिजारा तथा सम में अल्पसंख्यक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में चिकित्सा उप केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग कालेज, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य करवाया जाएगा।

75. राज्य सरकार द्वारा मदरसों में शिक्षा सहयोगी, शिक्षा सामग्री तथा कम्प्यूटर, इत्यादि की सुविधाओं के लिए मदरसा बोर्ड को 58 करोड़ रुपये दिया जाना प्रस्तावित है।

76. चिकित्सकों की कमी दूर करने व जिला स्तर पर उच्च स्तरीय

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भरतपुर, अलवर, चूरू, डूंगरपुर, बाड़मेर, पाली तथा भीलवाड़ा में सात नये चिकित्सा महाविद्यालय खोले जायेंगे। नये चिकित्सा महाविद्यालयों में कुल 700 सीटें होंगी। प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय हेतु पूंजीगत मद में 189 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

77. कैंसर के इलाज तथा अनुसंधान हेतु राज्य के झालावाड़ तथा बीकानेर जिलों में स्थित मेडिकल कालेज अस्पतालों में tertiary cancer care centre तथा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध मेडिकल कालेज अस्पताल में राज्यस्तरीय कैंसर चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना किये जाने की मैं घोषणा करती हूं। इन tertiary centres की स्थापना पर 45 करोड़ रुपये तथा राज्यस्तरीय कैंसर संस्थान की स्थापना पर 120 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

78. प्रदेश में मेडिकल कालेज में super speciality अस्पतालों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में राज्य के बीकानेर, उदयपुर तथा कोटा मेडिकल कालेजेज से सम्बद्ध अस्पतालों में super speciality wing स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक अस्पताल पर 150 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

79. राज्य में 1 हजार 79 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कराने हेतु 248 करोड़ 17 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, 51 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण भी कराया जायेगा।

80. Graduate तथा Post Graduate स्तर पर, विशेष रूप से humanities क्षेत्र में, लगभग सभी पाठ्यक्रमों में कौशल (skill) विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है। परिणामस्वरूप, देश के अधिकतर Graduate तथा Post Graduate रोजगार योग्य नहीं होते। College स्तरीय पाठ्यक्रमों को skills के विकास से integrate करने के उद्देश्य से मैं राज्य में PPP mode में एक Skills University स्थापित करने की घोषणा करती हूं।

81. हमारे गत कार्यकाल में राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय और पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई थी। इनके सुदृढ़ीकरण के लिए मैं 4 करोड़ 88 लाख रुपये

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के लिए तथा 4 करोड़ 18 लाख रुपये पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के लिए प्रावधान प्रस्तावित कर रही हूं। महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय के विकास के लिए भी 2 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

82. राज्य के सीकर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, चूरू, जयपुर, अलवर तथा दौसा जिले में 11 महाविद्यालय ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक में 5,500 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके, इस हेतु मैं इन महाविद्यालयों का संकायवार पुनर्गठन कर 15 और नये महाविद्यालय बनाने की घोषणा करती हूं।

83. राज्य में वर्तमान में 11 राजकीय engineering महाविद्यालय हैं। इनमें से 8 महाविद्यालय स्ववित्त पोषित आधार पर societies के माध्यम से संचालित हैं। इसी व्यवस्था के तहत धौलपुर, बारां सहित तीन नये अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने की मैं घोषणा करती हूं।

84. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में राज्य को 2 हजार 392 विद्यालयों में 10 हजार 516 कक्षों का निर्माण, 661 शौचालयों तथा 116 पेयजल सुविधा सहित, कुल 11 हजार 293 इकाइयों का निर्माण करने का कार्यक्रम वर्ष 2011-12 में स्वीकृत हुआ था। दुर्भाग्य से पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इन निर्माण कार्यों को समय पर पूर्ण नहीं कराया जा सका, जिससे इनकी निर्माण लागत 504 करोड़ रुपये से बढ़कर 748 करोड़ रुपये हो गई। इन 2 हजार 392 विद्यालयों में निर्माण कार्य हेतु मैं राज्य आयोजना मद से 244 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की घोषणा करती हूं।

85. ग्रामीण क्षेत्र की माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्राओं को आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु 35 शारदे बालिका छात्रावासों का निर्माण पूर्ण कर सत्र 2014-15 से संचालन किया जायेगा।

86. राज्य के हनुमानगढ़ तथा डूंगरपुर जिलों में दो खण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण कार्य 3 करोड़ 16 लाख रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

87. सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 940 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन, 2 हजार 609 अतिरिक्त class rooms, बालिकाओं हेतु 678 जल सहित शौचालय, 155 पेयजल सुविधाओं का निर्माण करवाया जायेगा। इन निर्माण कार्यों पर 303 करोड़ 32 लाख रुपये का व्यय होगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

प्रशासनिक आधारभूत संरचना :

88. अनेक प्रशासनिक भवनों, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना भवन तथा आवासीय कालोनियां, जैसे गांधी नगर का re-development किया जायेगा। ऐसे re-development से वर्तमान में उपलब्ध floor space से कई गुना अधिक floor space मिल सकता है। इस प्रयोजनार्थ हम भारत सरकार के उपक्रम National Building Construction Corporation (NBCC) के साथ मिलकर एक Joint Venture Company स्थापित करेंगे।

आर्थिक वृद्धि (Growth), रोजगार (Employment) और समावेशी विकास (Inclusive Development)

89. राज्य में आधारभूत संरचना के विकास, आर्थिक विकास दर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष के उच्च स्तर पर ले जाने तथा प्रति वर्ष 3 लाख से अधिक नये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार, औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र में निवेश तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनेक नीतिगत कदम उठायेगी। साथ ही, सार्वजनिक संसाधनों का भी निवेश करेगी। उच्च विकास के साथ-साथ समाज के गरीब, पिछड़े एवं वंचित वर्गों का विकास भी मेरी सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। हम उच्च विकास (Higher Growth) तथा समावेशी विकास (Inclusive Development) दोनों के लिए कार्य करेंगे।

नई निवेश प्रोत्साहन योजनाएं :

90. हम राज्य में नई निवेश प्रोत्साहन नीति लायेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल्स, इत्यादि सेवा क्षेत्रों में निवेश करने पर पूंजीगत निवेश में सम्मिलित VAT पर छूट, निवेश अनुदान के रूप में दी जावेगी। साथ ही डेयरी उद्योग तथा प्लास्टिक से पैट्रोल बनाने वाले उद्योगों को सम्मिलित कर इसी माह में नई निवेश प्रोत्साहन नीति जारी की जायेगी।

91. नई निवेश प्रोत्साहन नीति में राज्य के पिछड़े भौगोलिक क्षेत्रों व thrust sectors में विनियोजन को बढ़ावा देने हेतु विशिष्ट नीतियां एवं प्रोत्साहन प्रावधान तथा बड़े तथा अधिक रोजगार सृजित करने वाले उद्योगों एवं सेवाओं के लिए customized package के भी प्रावधान होंगे।

92. केन्द्र सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र में FDI नीति का उदारीकरण किया गया है। डिफेंस offsets का उपयोग राजस्थान में करने के साथ ही, रक्षा क्षेत्र में

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

FDI और Domestic निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार आवश्यक infrastructure, नीतिगत वातावरण तथा incentive structure सृजित करेगी।

93. राजस्थान में वस्त्र उद्योग का वार्षिक टर्न ओवर 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। इस उद्योग से लगभग 3 लाख लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। वस्त्र उद्योग में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार एक ही premises में अतिरिक्त निवेश की सीमा में संशोधन, ऋण लेने के समय से ही ब्याज अनुदान देने तथा अन्य निवेश friendly प्रावधानों सहित संशोधित Textile Promotion Policy भी इसी माह जारी करेगी।

94. राज्य में Electronic Systems Design and Manufacturing क्षेत्र में उत्पादन एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना लागू की जायेगी।

95. राज्य में ceramics उद्योग हेतु आवश्यक कच्चे माल की प्रचुर उपलब्धता है। राज्य में ceramics उद्योग को बढ़ावा देने व राज्य के बीकानेर तथा अजमेर सहित चयनित क्षेत्रों को ceramics hubs के रूप में विकसित करने के लिए Revised Ceramics Promotion Policy लायी जायेगी।

96. राजस्थान के युवाओं को employment oriented skill training उपलब्ध करवाने के लिए बड़े औद्योगिकी क्षेत्रों में RIICO द्वारा skill development hubs विकसित किये जायेंगे। साथ ही, IT कम्पनियों को राज्य में अपने development और business centre स्थापित करने के लिए IT Industrial Complexes विकसित किये जायेंगे।

97. राज्य में कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने तथा कृषकों को उनके उत्पाद का बेहतर दाम दिलाने और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजनाओं को बारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में संचालित किया जायेगा। इन योजनाओं की क्रियान्विति से राज्य में कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में 1 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक का निवेश होने की सम्भावना है।

98. औद्योगिक निवेश, उत्पादन तथा नियोजन को बढ़ावा देने के लिए श्रम नियोजन की rigidities को कम करने हेतु राज्य सरकार ने Factories Act, Contract Labour (Employment and Regulation) Act, Industrial Disputes Act, Apprentices Act and Boilers Act में व्यापक सुधार किये हैं, जिसकी चर्चा

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। मुझे विश्वास है कि इन कानूनों में सुधार से राज्य में निवेश को बहुत बढ़ावा मिलेगा, जिससे न केवल हमें औद्योगिक विकास दर बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि अधिक रोजगार वाले उद्योगों की स्थापना से अतिरिक्त रोजगार सृजन भी हो सकेगा। श्रम कानूनों में किये जा रहे संशोधनों के लागू होने से भी उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में सीधी नियुक्तियों की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। इन संशोधन के लिए इसी विधान सभा सत्र में आवश्यक विधेयक पेश किये जायेंगे तथा विधान सभा से पारित होने के पश्चात् भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

पैट्रोलियम एवं खनिज :

99. खनन नीति-2011 खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने में विफल रही है। राज्य में अनेक खनिजों के विशाल reserves हैं। उनका दोहन कर हमें राज्य का विकास तथा रोजगार सृजन करना चाहिए। हम माइनिंग क्षेत्र में प्रदूषण समाप्त करने के लिए zero waste खनन को बढ़ावा देंगे। राज्य की खनिज संपदा के पर्याप्त दोहन हेतु, खनन उत्पादकता में वृद्धि के लिए हम नई खनन नीति शीघ्र ही घोषित करेंगे और Rajasthan Minor Mineral Concession Rules को भी संशोधित किया जायेगा। इस नीति में समय पर उचित मजदूरी, उपयुक्त कार्य की स्थिति और खनिजकर्मियों के अन्य अधिकारों को भी सुनिश्चित किया जायेगा। खनिज पट्टों के आबंटन में पारदर्शिता लाने के लिए आवेदन से आबंटन तक की समस्त प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा।

100. गत सरकार ने वर्ष 2009 में जनजाति क्षेत्र में खनन हेतु restrictive नीति लागू की थी। इस नीति से जनजाति क्षेत्र में ना तो खनन कार्य में गति आई और ना ही जनजाति निवासी लाभान्वित हुए। हमारी सरकार इस नीति का पुनर्विलोकन करेगी तथा इस क्षेत्र के लिए ऐसी नीति बनायेगी जिससे खनन में निवेश को आकर्षित किया जाये तथा इस क्षेत्र का विकास भी सुनिश्चित हो सके।

101. राज्य में खनिज जिप्सम केवल राज्य उपक्रमों द्वारा खनन हेतु वर्ष 1980 से आरक्षित किया हुआ है। वर्ष 2007 में POP उद्योगों को जिप्सम के captive use की शर्त पर जिप्सम खनन पट्टा जारी करने की अनुमति दी गई। उद्यमियों को बिना captive use की शर्त और किसानों को अपने खेत में उपलब्ध जिप्सम के खनन के लिए, अन्य प्रधान खनिजों की तरह पट्टा देने की मैं घोषणा करती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

102. पूर्ववर्ती सरकार द्वारा Hindustan Petroleum के साथ बाड़मेर में एक Refinery-cum-Petrochemical Complex लगाने के लिए समझौता किया गया था। राज्य सरकार ने इस complex के लिए 3 हजार 736 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की दर से 15 वर्ष तक interest free loan देने का commitment कर दिया। इस प्रकार, कुल 56 हजार करोड़ रुपये से अधिक ब्याज रहित ऋण देने का भार राज्य की जनता पर लाद दिया गया। हमने इस परियोजना की समीक्षा की है। इस परियोजना की appraisal report के अनुसार commercial production में आने के 15 वर्ष की अवधि में इस परियोजना से 68 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का लाभ अर्जित हो जायेगा। वो भी तब, जब इस अर्जित होने वाले लाभ के investment से कोई और आमदनी न हो। इतनी लाभकारी योजना के लिए 56 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का ब्याज रहित ऋण तो देने का commitment कर लिया गया, परन्तु इस परियोजना में राज्य सरकार की अंश पूंजी मात्र 26 प्रतिशत ही रखी गयी। यह एक अनूठा पैकेज था जिसमें जमीन भी हमारी, पैसा भी हमारा, प्राकृतिक संसाधन भी हमारे, परन्तु, स्वामित्व हमारा नहीं। हम इस परियोजना को renegotiate करेंगे।

103. राज्य सरकार GAIL India Ltd. के साथ joint venture में स्थापित कम्पनी Rajasthan State Petroleum Corporation को strengthen करेगी। यह कम्पनी राज्य के शहरों में city gas distribution का काम करेगी। साथ ही, प्रारम्भिक चरण में, वाहनों को CNG supply सप्लाई शुरू करने के लिए GAIL India Ltd. के साथ नीमराना में एक mother station तथा जयपुर में एक daughter station स्थापित करेगी।

कृषि :

104. खरीफ व रबी मौसम में हमारे किसान भाइयों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध हो सकें, इसके लिए वर्ष 2014-15 में 2 लाख मैट्रिक टन यूरिया, 50 हजार मीट्रिक टन डी ए पी तथा 50 हजार मीट्रिक टन single super phosphate का अग्रिम भण्डारण किया जायेगा, जिस पर 28 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय होगा।

105. राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने की नीति का एक स्तम्भ बंजर भूमि विकास भी है। राजस्थान में 180 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि है। वर्ष 2014-15 में समन्वित जलग्रहण प्रबंधन कार्य के अन्तर्गत 3 लाख 69 हजार हैक्टेयर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

क्षेत्रफल उपचारित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 1 हजार 392 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है।

106. कृषि व सम्बद्ध क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा भूमि, equipments तथा technology में निवेश आवश्यक है। परन्तु मध्यम व दीर्घ अवधि के ऋणों पर किसानों को 13 से 14 प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ता है। कृषकों को ऐसे निवेश करने में प्रोत्साहन देने हेतु सहकारी और गैर-सहकारी बैंकों से लिये नये ऋणों पर 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान देने की नई योजना स्वीकृत करने की मैं घोषणा करती हूं। इस योजना हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रारम्भिक प्रावधान किया जा रहा है।

107. भारत सरकार की जवाहर लाल नेहरू सोलर मिशन में सोलर पम्प सैट स्थापित करने पर 30 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। राज्य में सोलर ऊर्जा से सिंचाई करने से न केवल स्थानीय स्तर पर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि इसे बूंद-बूंद और स्प्रिंकलर पद्धति से जोड़ने से पानी का भी बेहतर उपयोग सुनिश्चित होता है। Off-grid आधार पर सोलर पंप सैट स्थापित करने को प्रोत्साहन देने के प्रयोजन से राज्य सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा। वर्ष 2014-15 में 5 हार्सपावर के सोलर पम्प सैट स्थापित करने पर भी अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इस योजना हेतु 119 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

पशुपालन :

108. राज्य के सामाजिक तथा आर्थिक परिवेश में पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में 5 करोड़ 50 लाख से भी अधिक पशुधन होने के उपरांत भी पशुपालकों के जीविकोपार्जन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। यह पशुधन सांख्यिकी दृष्टि से अधिक है, परन्तु उत्पादकता की दृष्टि से upto the mark नहीं है। पशुपालकों की आय में वृद्धि हेतु आगामी 5 वर्षों में हमारा लक्ष्य होगा कि राज्य में दूध उत्पादन को दो गुना व शीतलन क्षमता तीन गुना बढ़े।

109. पशु चिकित्सा सुविधा हेतु काल सेंटर के मार्फत मोबाइल वेटेरिनरी सेवा टोंक जिले की 2 तहसीलों उनियारा तथा देवली में पायलट योजना के रूप में प्रारम्भ की जायेगी।

110. पशुओं की नस्ल सुधार हेतु निजी जन सहभागिता से परिणाम

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आधारित पशु नस्ल सुधार योजना प्रारम्भ की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत कुल 2 हजार Integrated Livestock Development Centres स्थापित किये जायेंगे। वर्ष 2014-15 में 1 हजार सेंटर प्रारम्भ किये जायेंगे। इस योजना के लिए वर्ष 2014-15 के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

गोपालन :

111. राज्य की जनता की भावनाओं के अनुरूप गौसंवर्धन हमारी सरकार की प्राथमिकता है। पंचगव्य के उपयोग को लोकप्रिय बनाने तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने, गौशाला विकास एवं संरक्षण तथा अभाव के समय चारे का प्रबंध करने सम्बन्धी कार्य करने हेतु, हमने गोपालन विभाग बनाने का निर्णय लिया है।

सहकारिता :

112. राज्य के किसानों को लघु अवधि फसली ऋण 4 प्रतिशत की रियायती दर पर उपलब्ध हो सकें, इस हेतु सहकारी साख संस्थाओं की लागत को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सहकारी बैंकों को राज्य सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान दिये जाने के लिए बजट में प्रावधान प्रस्तावित किया जा रहा है।

113. चालू वित्तीय वर्ष में आर्थिक दृष्टि से कमजोर राज्य की 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को उनकी भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिए गोदाम निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 10 लाख रुपये प्रति समिति की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रयोजन के लिए बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

खाद्य सुरक्षा :

114. राज्य के कमजोर और गरीब वर्गों को अनाज उपलब्ध कराना एक जिम्मेदारी का कार्य और एक पुण्य है। लेकिन पिछली सरकार को तो हर चीज में, यहां तक कि जनता के Food Entitlements में भी, केवल राजनीति ही नजर आती थी। चुनावों को देखते हुए आनन-फानन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सूचियां बनाई गईं, जिनका परिणाम यह हुआ कि इन सूचियों में गलतियां अधिक थीं और सही प्रविष्टियां कम। इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा कानून होने के बावजूद entitlements से छेड़छाड़ की गई। सुराज संकल्प में किए गए वादे के अनुसार मैं घोषणा करती हूं कि राज्य के सभी पात्र

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य हमारी सरकार करेगी।

वन एवं पर्यावरण :

115. चूरू जिले में 1 करोड़ 73 लाख रुपये की लागत से Nature Park की स्थापना की मैं घोषणा करती हूं।

पर्यटन :

116. पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान के पास सब कुछ, और इससे भी कुछ अधिक, है। ऐतिहासिक धरोहर किले और हवेलियां, रणथम्भौर और घना, अपनी unique हस्तकला, classical और folk dance एवं नृत्य का tradition और रंग-सब कुछ तो राजस्थान में है। लेकिन फिर भी पिछले पांच वर्षों में विदेशी पर्यटकों का प्रदेश में आगमन निरन्तर गिरा है।

117. राजस्थान को भारत का Holland होना चाहिए। यहां पर्यटन भी है और Animal Husbandry भी है। पर्यटन से न केवल सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है, बल्कि इससे नौकरियां मिलती हैं। विशेषज्ञों का यह मानना है कि पर्यटन में निवेश किए गए हर रुपये पर उसका दो गुणा return मिलता है। राजस्थान के लिए पर्यटन सबसे महत्वपूर्ण economic activity है। पर्यटन एक side show नहीं, बल्कि एक serious business है।

118. दुर्भाग्यवश सदन में उपस्थित कुछ सदस्य पर्यटन को नाच-गाना कह कर बर्खास्त कर देते हैं। ऐसी छोटी सोच का यह नतीजा था कि पर्यटकों के लिए एक आकर्षण केन्द्र बिन्दु बनाने के लिए हमने जो राजस्थान दिवस को एक festival का रूप दिया था, उसे नाच-गाना समझ कर खतम कर दिया गया। Rajasthan Week जैसे केन्द्र बिन्दु से एक राज्य या देश की पर्यटन पहचान बनती है, जैसे कि स्पेन का Tomatino festival व गोवा का कार्निवाल।

119. राजस्थान दिवस को World Tourism map पर लाने हेतु पुन: शुरू से प्रयास करना होगा। राजस्थान दिवस celebrations को पुन: वृहद स्तर पर शुरू करने की मैं घोषणा करती हूं।

120. पर्यटन विकास की विपुल सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में पर्यटन प्रवाह बढ़ाने के लिए मैं कई नये कार्यक्रम प्रस्तावित कर रही हूं:-

- सांभर क्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि से विशेष विकास किया जायेगा,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

जिसमें शाकम्बरी माता, देवयानी कुण्ड, शर्मिष्ठा सरोवर, दरगाह, जैन मंदिर, नालियासर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सांभर कस्बा, आदि में 37 करोड़ 65 लाख की लागत से आधारभूत पर्यटन सुविधायें, सड़क निर्माण, bird watching deck, इत्यादि के कार्य करवाये जायेंगे।

- गोडवाड क्षेत्र में पाली, जालौर और सिरोही के रणकपुर, नरवारिया तथा जवाई बांधों व बावड़ियों, आदि का विकास किया जायेगा। इस पर 6 करोड़ 43 लाख रुपये का व्यय होगा।
- अलवर जिले की मूसी रानी की छतरी, सागर, किशन कुण्ड, सिलिसेढ, जयसमन्द, नटनी का बारां, भीम की डूंगरी, आदि के विकास पर 5 करोड़ 70 लाख रुपये का व्यय किया जायेगा।
- बूंदी स्थित रामेश्वर मंदिर, जैतसागर झील, सुखमहल, नवलसागर, आदि के विकास कार्यों पर 4 करोड़ 93 लाख रुपये का व्यय होगा।
- रणथम्भौर अभयारण्य क्षेत्र को 4 करोड़ 34 लाख रुपये की लागत से विकसित किया जायेगा।
- झालावाड़ गढ़ और गागरोन फोर्ट के विकास हेतु प्रत्येक पर 4 करोड़ 92 लाख रुपये के कार्य करवाये जायेंगे।
- डीग किले का 4 करोड़ 81 लाख रुपये की लागत से विकास किया जायेगा।
- धौलपुर में मुचकुण्ड के संरक्षण, विकास तथा विद्युतीकरण पर 4 करोड़ 61 लाख रुपये का व्यय किया जायेगा।
- भरतपुर में सुजानगंगा तथा धौलपुर में वन विहार को विकसित किया जायेगा। प्रत्येक विकास कार्य के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- रैन बसेरा झालावाड़ को 2 करोड़ 24 लाख रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा।
- मारवाड़ जंक्शन से मावली जंक्शन मीटर गेज लाइन का हेरिटेज पर्यटन के रूप में विकास किया जायेगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

121. बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, माउंट आबू और सांभर क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए Mega Desert Tourist Circuit बनाने की मैं घोषणा करती हूं। इस परियोजना के तहत heritage conservation, landscaping तथा पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने का कार्य हाथ में लिया जायेगा। इसके लिए 50 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

पुरातत्व, संग्रहालय एवं कला संस्कृति :

122. हम राजस्थान की सुन्दर ऐतिहासिक धरोहर व अमूल्य संस्कृति को सदैव सुरक्षित तथा संरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर व संस्कृति, सभ्यता, गौरवशाली इतिहास के संरक्षण तथा इनके विकास हेतु ''राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण'' के शासी बोर्ड का पुनर्गठन किया है।

123. पुरातत्व महत्व के भरतपुर के खानवा ग्राम में राणा सांगा स्मारक एवं पैनोरमा, वैर में किला एवं सफेद महल तथा भरतपुर के संग्रहालय का विकास कार्य करवाया जायेगा। इस हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3 करोड़ 55 लाख रुपये का प्रावधान किया है।

124. राजकीय संग्रहालय, माउंट आबू में 1 करोड़ 20 लाख रुपये तथा ग्राम धानक्या, जयपुर में पंडित दीनदयाल स्मृति संग्रहालय 1 करोड़ 91 लाख रुपये की लागत से विकसित किये जायेंगे।

125. झालावाड़ के प्राचीन अवशेष मऊबोरदा में 3 करोड़ 53 लाख रुपये और दलहनपुर में 6 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से संरक्षण, जीर्णोद्धार और विकास के नवीन कार्य करवाये जायेंगे।

126. रविन्द्र मंच का जयपुर की कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक अनूठा स्थान है। रविन्द्र मंच के नवीनीकरण और सुधार कार्यों हेतु वर्ष 2014-15 में 3 करोड़ 75 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

127. रविन्द्र मंच, बीकानेर का एक कार्य योजना बनाकर निर्माण कार्य पूरा कराया जायेगा और इसका संचालन सोसायटी के माध्यम से किया जायेगा।

देवस्थान :

128. राज्य सरकार प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों का यात्रियों की सुविधा हेतु सेवाएं विकसित व ऐसे स्थलों का जीर्णोद्धार करने के लिए मास्टर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

प्लान बनाकर विकास कार्य करने में सहायता करेगी। श्री गोगामेड़ी तहसील नोहर के मंदिर का विस्तार और मेला ग्राउण्ड का विकास कार्य, श्री लक्ष्मी नाथजी मंदिर, बीकानेर और श्री नागणेचाजी माताजी के मंदिर का मास्टर प्लान तैयार कर, जीर्णोद्धार कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। भरतपुर के बिहारीजी के मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। प्रत्येक सम्भाग के दो महत्वपूर्ण मंदिरों का चयन कर, उनके योजनाबद्ध विकास और जीर्णोद्धार के लिए मास्टर प्लान बनाये जायेंगे। रामदेवरा और खाटूश्यामजी सहित प्रदेश के सभी तीर्थ स्थानों पर पदयात्राओं के माध्यम से तीर्थाटन करने, यात्रियों की सुरक्षा व श्रद्धा के संरक्षण के लक्ष्य से पदयात्रा मार्गों का समुचित विकास किया जायेगा।

129. मैं उपरोक्त कार्यों सहित बूढा पुष्कर-अजमेर, नाथद्वारा-राजसमन्द और कैलादेवी-करौली जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के सुनियोजित एवं चरणबद्ध विकास के लिए 38 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित कर रही हूं।

रोजगार एवं कौशल विकास :

130. भारत और हमारा प्रदेश, दोनों ही आज की तारीख में युवाओं की धरती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, राजस्थान की 18 से 39 साल की जनसंख्या, कुल जनसंख्या का लगभग 34 प्रतिशत है। मेरा मानना है कि राज्य की जनता आत्म-सम्मान से अपना जीवन जीना चाहती है। आम आदमी अपनी रोजी-रोटी अपने बलबूते पर ही, अपनी क्षमता और साधनों का उपयोग कर, अर्जित करना चाहता है।

131. वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में labour force लगभग 3 करोड़ है। इनमें से 33 लाख बेरोजगार हैं। दूसरी ओर, 2004-2005 से 2009-2010 तक रोजगार में वृद्धि मात्र 0.67 प्रतिशत वार्षिक दर से हुई है। आने वाले समय में labour force की संख्या में हर वर्ष लगभग 8 लाख की बढ़ोतरी होगी। अगर रोजगार की दर 0.67 प्रतिशत ही रही तो 2019-20 तक राजस्थान में 46 लाख बेरोजगार हो जायेंगे।

132. इस स्थिति को भांपते हुए, मैंने वर्ष 2004 में राजस्थान मिशन आन लाइवलीहुड (RMOL) की स्थापना की थी। बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करना, रोजगार चाहने वाले और नियोजक के mis-match को कम करना और नियोजक संस्थाओं से मिलकर उनकी आवश्यकताओं के आकलन के अनुरूप

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

प्रशिक्षण देना, इस मिशन के लक्ष्य थे। यह कार्यक्रम सफल रहा। यह इस बात से प्रमाणित होता है कि हमारे द्वारा प्रारम्भ किये कार्यक्रम के 5 वर्ष बाद तत्कालीन यू पी ए सरकार ने भी 2009 में National Skill Development Mission की घोषणा की।

133. इस घोषणा के अन्तर्गत Livelihood Development Corporation जैसी संस्थाएं और विभिन्न उप-योजनाएं बनाई गईं। वास्तविक कार्य क्या हुआ, इसका आकलन करना कठिन है। इसके आकलन से लगता है कि वास्तविक व्यय नियोजन के अनुरूप नहीं हुआ है।

134. अत: केन्द्रीय स्कीम के सकारात्मक बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए, हमने Rajasthan Mission on Livelihood की पुन:स्थापना की है। राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम अब Rajasthan Mission on Livelihood के मार्गदर्शन में कार्य करेगा।

135. युवाओं को रोजगार योग्य बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम के माध्यम से अगले 5 वर्षों में 13 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्यक्रम बनाया गया है। साथ ही, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (ITIs) को अधिक मजबूत कर 2 लाख अतिरिक्त ट्रेनीज रोजगार हेतु तैयार किये जायेंगे। RMOL की नवाचार आधारित कार्यप्रणाली द्वारा आगामी वर्षों में लगभग 2 लाख 50 हजार परिवारों को स्वरोजगार से भी जोड़ा जायेगा। साथ ही, Employment Exchanges के पुराने ढांचों को परिवर्तित कर अत्याधुनिक कैरियर सेंटर के माध्यम से, apprentice योजना का सफल क्रियान्वयन कर, नये तरीके से प्रत्येक जिले में जोब मेले तथा आर्मी के द्वारा नियोजन से लगभग 75 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों में 5 वर्ष में 15 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकेंगे। इसलिए-

''रख हौंसला वह मंजर भी आयेगा,
प्यासे के पास चलकर समन्दर भी आयेगा।
थक कर न बैठे ए मंजिल के मुसाफिर,
मंजिल भी मिलेगी और मील का पत्थर भी आयेगा।।

136. साथ ही, मैं यह घोषणा भी करती हूं कि अगले दो वर्ष में ऐसी कोई पंचायत समिति नहीं बचेगी, जिसमें आई.टी.आई. उपलब्ध नहीं हो। इस

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हेतु 45 नये आई.टी.आई. सार्वजनिक क्षेत्र में अथवा निजी सहभागिता से बनाये जायेंगे।

137. राज्य में बेरोजगारों को self employment के अवसर उपलब्ध कराने हेतु motor mechanic, barber, beautician, hair dresser जैसे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम RSLDC के माध्यम से प्रारम्भ किये जायेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए सरकार द्वारा टूलकिट्स भी उपलब्ध कराये जायेंगे।

138. पंजीकृत निर्माण श्रमिक परिवार से चयनित, एक योग्य छात्र-छात्रा को, ITI, पोलीटेक्निक में कौशल विकास हेतु Building and other Construction Workers' Welfare Board द्वारा सहायता प्रदान कर प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा।

139. राज्य में Labour Market Information System (LMIS) पोर्टल एवं प्रणाली विकसित की जायेगी। इस प्रणाली के तहत कौशल प्रशिक्षण के इच्छुक युवाओं तथा प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों का online data base सृजित किया जायेगा। इस पोर्टल के माध्यम से उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों का मिलान कर प्रदेश के युवाओं को उपयुक्त रोजगार अवसर प्राप्त करने में सहायता की जायेगी।

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार सृजन :

140. वर्ष 2014-15 में आजीविका परियोजना के अन्तर्गत 15 हजार स्वयं सहायता समूहों द्वारा 2 लाख गरीब महिलाओं को लाभान्वित किया जायेगा। स्वयं सहायता समूहों को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा 90 करोड़ रुपये की सहायता राशि तथा बैंकों से 70 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराये जायेंगे।

141. उदयपुर के झाड़ोल ब्लाक के सुल्तानजी का खैरवाड़ा ग्राम पंचायत में 1,500 गरीब किसान परिवारों को अदरक व हल्दी की खेती और processing में प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी वार्षिक आय में 30 से 40 हजार रुपये की वृद्धि की जायेगी।

142. वर्ष 2014-15 में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 70 विद्यालयों का चयन कर इन्हें भारत सरकार की सहायता से संचालित किया जायेगा। इस हेतु 1 करोड़ 70 लाख 63 हजार रुपये राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

143. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित human development indicators-Crude Birth Rate, Maternal Mortality Rate, Infant Mortality Rate, इत्यादि अभी भी राज्य की असंतोषजनक स्थिति को इंगित करते हैं। अधिकांश indicators में राजस्थान राष्ट्रीय औसत से नीचे है। महिला एवं नवजात शिशु के सम्बन्ध में तो स्थिति काफी विकट है।

144. पूर्ण प्लानिंग और समुचित सुविधाओं की व्यवस्था किये बिना नि:शुल्क दवा तथा नि:शुल्क जांच योजनाओं के शुरू करने से राजकीय अस्पतालों पर भारी दबाव पड़ा है। साथ ही, पड़ोसी राज्यों के निवासियों के राज्य के अस्पतालों में उपचार के लिए भारी संख्या में आने के कारण भी अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा गई है। इन दोनों योजनाओं के लिए पात्र व्यक्तियों की समीक्षा के साथ-साथ यह आवश्यक है कि insurance के माध्यम से राज्य की गरीब और वंचित जनता को निजी अस्पतालों में भी उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाये। अत: मैं राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र सभी परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की घोषणा करती हूं। इस योजना का लाभ भामाशाह कार्ड मिलने के साथ-साथ मिलने लगेगा। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के लगभग 67 प्रतिशत परिवार लाभान्वित हो सकेंगे और ये राजकीय और accredited निजी अस्पतालों में indoor patient के रूप में भी अपना उपचार करा सकेंगे। सामान्य बीमारियों के लिए प्रति परिवार 30 हजार रुपये तथा चिह्नित गम्भीर बीमारियों के लिए 3 लाख रुपये तक का insurance coverage होगा। ऐसे परिवारों को OPD रोगी के रूप में नि:शुल्क दवाएं और जांच की सुविधा भी मिलती रहेंगी।

145. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों में 3 तरह की समस्याओं – Birth Defect, Deficiency Diseases और Development Delay की जांच करवाई जायेंगी। इस पर 30 करोड़ 18 लाख रुपये का व्यय होगा।

146. प्रदेश के सभी 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में रहने वाले निर्धन- कचरा बीनने वाले, बेघर, स्ट्रीट चिल्ड्रन, मजदूर व अस्थाई प्रवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जायेंगी। इस योजना पर 140 करोड़ 72 लाख रुपये का व्यय होगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

147. राज्य में आंखों तथा गुर्दे का प्रत्यारोपण सहित सभी मानव organ transplant के कार्य संचालन के लिए राज्य स्तर पर राज्य रजिस्ट्री प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा, जो मानव organ transplant का पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन करेगा और अंगदाता से अंग प्राप्तकर्ता में transplantation का regulation करेगा।

चिकित्सा शिक्षा :

148. राज्य में सड़क दुर्घटना में हर साल लगभग 10 हजार लोगों की मौत हो जाती है। समय पर आवश्यक एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने पर ही इन दुर्घटनाओं में घायल हुए व्यक्तियों को बचाया जा सकता है। चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर में Institute of Traumatology and Orthopaedics का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इसे शीघ्र संचालित करने के उद्देश्य से मशीनरी तथा औजार क्रय करने हेतु 15 करोड़ 75 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

आयुर्वेद :

149. नाहरगढ़ वन औषधि उद्यान, बारां की स्थापना की जायेगी, जिसके लिए 1 करोड़ 42 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इस उद्यान को सार्वजनिक-निजी-सहभागिता के तहत संचालित किया जायेगा।

शिक्षा :

150. राज्य की 248 पंचायत समितियों में से 186 पंचायत समितियां शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। राज्य सरकार सभी पंचायत समितियों में अंग्रेजी माध्यम से माडल विद्यालय स्थापित करने को प्रोत्साहित करना चाहती है। भारत सरकार द्वारा आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ी 186 पंचायत समितियों में माडल विद्यालय स्थापित करने के लिए 3 करोड़ 2 लाख रुपये प्रति विद्यालय का अनुदान 134 विद्यालयों के लिए वर्ष 2010-11 में स्वीकृत किया गया। परन्तु गत सरकार केवल 71 माडल विद्यालय का कार्य शुरू कर सकी। इस दौरान माडल विद्यालयों की निर्माण लागत बढ़कर 5 करोड़ 67 लाख रुपये प्रति विद्यालय हो गई है। हम भारत सरकार से वास्तविक लागत आधार पर पुन:स्वीकृति प्राप्त कर सभी 186 माडल विद्यालयों का निर्माण करेंगे। 66 विद्यालयों में निर्माण पूर्ण कर कक्षा 6 से 8 का संचालन सत्र 2014-15 से ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा, जिससे लगभग 15

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हजार विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे। अन्य 58 पंचायत समितियों में भी सार्वजनिक-निजी-सहभागिता योजनान्तर्गत माडल विद्यालय के निर्माण की योजना क्रियान्वित की जायेगी।

151. वर्ष 2013-14 तक राज्य में :

- 49,961 प्राथमिक विद्यालय,
- 23,108 उच्च प्राथमिक विद्यालय,
- 8,837 राजकीय माध्यमिक विद्यालय और
- 4,418 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित थे। इनमें से 28,013 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या 30 से कम है। यहां तक कि 142 प्राथमिक विद्यालयों में तो छात्र की संख्या शून्य है, जबकि इनमें 251 शिक्षकों के पद हैं। एक ओर तो राज्य में Right to Education Act की आवश्यकता से भी अधिक विद्यालय राज्य में स्थापित हैं और दूसरी ओर राज्य में माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में Transition दर केवल 48.9 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 10 प्रतिशत कम है। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता और छात्राओं की low literacy rate चिंता के विषय हैं।

152. मैं समझती हूं कि गुणवत्ता और Transition Rate को बढ़ाने के लिए इस व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। इस हेतु बिखरे हुए विद्यालयों का integration भी आवश्यक है और, विशेषकर छात्राओं की दृष्टि से, अधिक एवं आसान accessibility की भी आवश्यकता है। अत: इस वर्ष आवश्यकतानुसार विद्यालयों का एकीकरण किया जायेगा।

153. वर्तमान में केवल 3,439 ग्राम पंचायतों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। 838 अन्य ग्राम पंचायतों में निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। मैं घोषणा करती हूं कि शेष बची 4,900 ग्राम पंचायतों में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार चरणबद्ध रूप से माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जायेंगे। साथ ही, क्रमोन्नत होने तक जिन ग्राम पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं, उनके निकटतम उच्च माध्यमिक विद्यालय तक आने-जाने के लिए transport voucher के माध्यम से परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इस प्रकार, प्रदेश की सभी 9,177 ग्राम पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करवा दी जायेगी।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

154. प्राथमिक शिक्षा में कक्षा तीन से पांच के विद्यार्थियों के लिए पढ़ने-लिखने व गणित की मूलभूत learning में दक्षता प्राप्त करने हेतु Reading Campaign कार्यक्रम चलाया गया है। वर्ष 2014-15 में इसका विस्तार करते हुए विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों हेतु Learning Indicators बनाकर, इनके अनुरूप बच्चों के शैक्षणिक स्तर को सभी विषयों में विकसित करने के लिए यह Campaign शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी प्रारम्भिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समस्त विषयों में शैक्षणिक स्तर का सतत online supervision किया जायेगा।

155. चुनावी लाभ लेने की नीयत से, गत सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश होने वाली 2 लाख 42 हजार बालिकाओं को साइकिल के स्थान पर रुपये 2,500 की राशि नकद दी। अधिकतर बालिकाओं को वास्तव में साइकिल नहीं मिली। वर्ष 2014-15 में राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं को नकद राशि के स्थान पर साइकिल प्रदान किये जाने की मैं घोषणा करती हूं।

156. भारत सरकार द्वारा National Talent Search Exam कराया जाता है, जिस पर पूरे देश में एक हजार विद्यार्थी को चयनित कर कक्षा ग्यारहवीं तक तथा बारहवीं के लिए प्रति माह 1,250 रुपये तथा gradute और post-gradute विद्यार्थियों को प्रति माह 2,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। राजस्थान के राजकीय विद्यालयों से चयनित होने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा भी भारत सरकार द्वारा दी जा रही राशि के समान छात्रवृत्ति दिये जाने की मैं घोषणा करती हूं। साथ ही, राज्य में वर्तमान विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का दायरा बढ़ाते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से कक्षा 9 एवं 11 के पश्चात् विद्यार्थियों हेतु विज्ञान व गणित विषय में ''राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा'' के नाम से परीक्षा आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इस परीक्षा में राजकीय विद्यालयों से चयनित होने वाले प्रथम 100 विद्यार्थियों को post graduation तक की पढ़ाई के लिए NTSE की तर्ज पर छात्रवृत्ति दिये जाने की मैं घोषणा करती हूं।

157. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत वर्ष 2013-14 में कमजोर वर्ग के 2 लाख 27 हजार 256 विद्यार्थियों को निजी विद्यालयों के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करवाई गई। सत्र 2014-15 में कमजोर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

वर्ग के 3 लाख 50 हजार विद्यार्थियों को निजी विद्यालयों के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस पर 162 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय होगा।

158. राज्य में प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तर पर व्यापक संख्यात्मक विस्तार हुआ है परन्तु गुणवत्ता की दृष्टि से राज्य के विद्यालयों में आधुनिक Information Technology तकनीक के माध्यम से शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। राज्य के स्कूली विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री digital रूप में उपलब्ध हो सके तथा विभिन्न lessons एवं अन्य सामग्री वीडियो व inter-active रूप में उपलब्ध हो सके, इसके लिए मैं Rajasthan School Education Portal की स्थापना की घोषणा करती हूं।

159. तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती थी। तत्पश्चात्, जिला परिषद द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा से गुजरना पड़ता था। अध्यापक पात्रता परीक्षा तथा अध्यापक भर्ती के प्राप्त अंकों को मिलाकर अध्यापक भर्ती की जाती थी। अब उक्त दोहरी परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर केवल एक ही परीक्षा आयोजित की जायेगी जो कि Recruitment-cum-Eligibility Exam for Teachers (REET) के नाम से जानी जायेगी। मुझे अवगत करते हुए खुशी हो रही है कि REET लागू कर हमने सुराज संकल्प का अपना वादा पूरा किया है।

उच्च शिक्षा :

160. राज्य सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक एवं महाविद्यालय स्तर की शिक्षा हेतु scholarships उपलब्ध कराती है। IIM, IIT, NIT व इस स्तर की अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के माध्यम से ऐसी संस्थानों में चयनित होने वाले राजस्थान के सभी विद्यार्थियों को, जिनके माता-पिता की आमदनी 5 लाख रुपये वार्षिक से कम हो, उन्हें प्रति वर्ष उनकी सम्पूर्ण फीस के 50 प्रतिशत राशि के बराबर scholarship देने की मैं घोषणा करती हूं।

161. वर्तमान में राज्य में कृषि संकाय में graduate तथा post graduate अध्ययन कर रही छात्राओं को 10 हजार रुपये प्रति वर्ष की scholarship का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर मैं 12 हजार रुपये प्रति वर्ष किये जाने की घोषणा कर रही हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

162. राज्य द्वारा चलाई जा रही सभी post matric तथा महाविद्यालय स्तर की scholarship योजनाओं के प्रबन्धन हेतु मैं एक Rajasthan State Higher Education Foundation के गठन की घोषणा करती हूं।

महिला एवं बाल विकास :

163. वर्ष 2014-15 से राज्य के 100 चयनित आंगनबाड़ी केन्द्रों को शिशु पालना गृह के रूप में विकसित किया जायेगा, जहां पर 6 वर्ष तक के बच्चों की रोज 8 घंटे के लिए देखभाल की जायेगी। वर्ष 2014-15 में इस गतिविधि पर दो करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

164. ICDS सेवाओं के माध्यम से मां एवं बच्चे की देखभाल को प्रोत्साहित करने के लिए फील्डकर्मियों के उल्लेखनीय कार्य प्रदर्शन को सम्मानित कर उन्हें प्रेरित करने के लिए परियोजना स्तर पर माता यशोदा पुरस्कार प्रारम्भ किया जायेगा। माता यशोदा पुरस्कार में प्रशस्ति-पत्र के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता को 5,100 रुपये, आंगनबाड़ी सहायिका तथा आशा सहयोगिनी को 2,100 रुपये की नकद राशि दी जायेगी।

165. हम चाहते हैं कि प्रदेश की बालिकाएं तथा महिलाएं किसी भी मायने में पुरुष से कम न हों। उन्हें शिक्षा तथा रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ हम उन्हें स्वयं की सुरक्षा के लिए भी सशक्त करेंगे। अत: मैं गुजरात की PADKAR योजना की तर्ज पर बालिका तथा महिलाओं के लिए self defence training programme प्रारम्भ करने की घोषणा करती हूं।

166. वर्तमान में राज्य में 40 महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों का संचालन NGOs के माध्यम से किया जा रहा है। इन केन्द्रों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए इन NGOs को दी जा रही सहायता राशि में 30 से 45 हजार रुपये की वृद्धि, इनके workload के आधार पर किए जाने की मैं घोषणा करती हूं।

युवा मामले एवं खेल :

167. हमने वर्ष 2007-08 में राजस्थान राज्य जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पंचायत समिति मुख्यालयों पर ग्रामीण युवा केन्द्र की स्थापना की घोषणा की थी। इस अभिनव योजना को अकारण बंद कर दिया गया था। मैं इन ग्रामीण युवा केन्द्रों को पुन: प्रारम्भ करने की घोषणा करती हूं। साथ ही, अन्य पंचायत समितियों में भी इन्हें चरणबद्ध रूप से प्रारम्भ करने की घोषणा करती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

168. राज्य में अन्तरराष्ट्रीय स्तर की एक squash academy जन सहभागिता के आधार पर स्थापित की जाएगी।

169. बीकानेर में करणी सिंह स्टेडियम, Velodrome Sports Complex तथा सार्दुल Sports School के विकास का गठन किया जाएगा।

170. जयपुर शहर में स्थित Organised Archery, Shooting and Equestrian Sports Complex को सुधार और विकसित कर night shooting की व्यवस्था भी की जाएगी और अन्तरराष्ट्रीय स्तर के electronic targets लगाये जाएंगे। जयपुर शहर में 6 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट भी बनाये जाएंगे।

171. निजी क्षेत्र के सहयोग से 18 hole का एक golf course जयपुर में स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता :

172. राज्य के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों, नारी निकेतन, बालक-बालिका गृहों, आदि के आवासियों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र और पठन-पाठन, इत्यादि की सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। मैं इन संस्थाओं के भत्ते की राशि को 1 हजार 750 रुपये से बढ़ाकर 1 हजार 900 रुपये करने की घोषणा करती हूं।

173. भारत सरकार की सहायता से राज्य में State Level Spinal Injury Centre खोला जाना प्रस्तावित है। 12 शय्याओं का यह केन्द्र सवाई मानसिंह चिकित्सालय में सार्वजनिक-निजी-सहभागिता के आधार पर स्थापित किया जायेगा।

174. भारत सरकार की सहायता से राज्य में विशेष योग्यजनों के पुनर्वास हेतु समग्र क्षेत्रीय केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है। यह केन्द्र राजस्थान पुनर्वास एवं शोध संस्थान, जयपुर में खोला जायेगा। यह केन्द्र विशेष योग्यजनों हेतु निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत पुनर्वास और विशेष शिक्षा के लिए एक संसाधन केन्द्र के रूप में संचालित किया जायेगा। इस केन्द्र की लागत 20 करोड़ रुपये होगी।

175. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 15 लाख 63 हजार विशेष योग्यजन निवासरत हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा पूर्व में कराये गये सर्वे में 3 लाख 63 हजार विशेष योग्यजन चिह्नित किए गए थे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सभी विशेष योग्यजनों को निशक्तता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए भामाशाह योजना के अन्तर्गत लगाये जाने वाले शिविर के दौरान सर्वे कर प्रमाणीकरण का अभियान चलाया जायेगा। वर्ष 2014-15 में कृत्रिम अंग तथा उपकरण के लिए 5 करोड़ 85 लाख रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

176. प्रदेश में विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं से पीड़ित नवयुवक-नवयुवतियां अपनी आजीविका स्वयं अर्जित कर सकें, इस हेतु उनमें कार्य से सम्बन्धित दक्षताओं का विकास किए जाने के लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा विशेष कौशल विकास केन्द्रों पर मुख्यत: श्रवण विकलांगता, पैरों की विकलांगता तथा मंद विकलांगता के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

जनजाति क्षेत्र :

177. जनजाति क्षेत्र के 6 साल से 12 साल के बच्चों को supplementary nutrition तथा कक्षा 4 तक की शिक्षा देने हेतु मां बाड़ी योजनान्तर्गत वर्तमान में 1 हजार से अधिक केन्द्र चल रहे हैं। चालू वर्ष में 250 मां बाड़ी केन्द्र और खोले जाने की मैं घोषणा करती हूं।

178. अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को गुणात्मक तथा उच्च शिक्षा के लिए 20 कन्या आश्रम छात्रावास खोले जायेंगे।

सुशासन एवं राजकीय सेवाओं की बेहतर डिलिवरी

179. राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राज्य के निवासियों को सेवाएं, वित्तीय सहायता और अन्य परिलाभ उपलब्ध कराती है। राज्य की योजनाओं का लाभ सही व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सके, सही समय पर उपलब्ध कराया जा सके तथा बिना किसी असुविधा व भ्रष्टाचार के उपलब्ध कराया जा सके, यही सही मायनों में सुशासन है। राज्य की योजनाओं के लाभ शीघ्र और सुरक्षित सीधे सम्बन्धित निवासियों तक पहुंचा सकें, उसके लिए राज्य के delivery system में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

180. वर्ष 2008 में हमने एक दूरदृष्टि की योजना भामाशाह प्रारम्भ की थी। यह योजना महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रेरित थी और राजस्थान के सभी गरीब परिवारों के financial inclusion के लक्ष्य को पूर्ण करने की दृष्टि से बनायी गयी थी। जब हमने सरकार छोड़ी, तब तक 29 लाख खाते खुल

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

चुके थे और 10 लाख से अधिक परिवारों को लाभान्वित करने की दृष्टि से 160 करोड़ रुपये बैंकों को हस्तान्तरित भी कर दिये गये थे। लेकिन आने वाली सरकार ने इस योजना को नहीं चलाया, जिससे कि बैंकों को हस्तान्तरित किये गये रुपयों का लाभ राजस्थान की गरीब महिलाओं को नहीं मिलकर, केवल बैंकों को हुआ, वह भी 5 वर्षों तक।

181. हमारी देखा-देखी तत्कालीन यू पी ए सरकार ने वर्ष 2009 में ''आधार'' स्कीम प्रारम्भ की। लेकिन ''आधार'' स्कीम केवल एक identity scheme बन कर रह गयी। न तो इसमें financial inclusion का होना आवश्यक है और न ही इसमें यह आवश्यक है कि बैंक खाते महिलाओं के नाम खुलें।

182. ''आधार'' स्कीम से भिन्न भामाशाह योजना एक end-to-end delivery platform भी है, जिसके माध्यम से cash और non-cash, दोनों तरह के benefits, targeted beneficiaries को पहुंचाये जा सकते हैं। अत: यह delivery system को सुधारने का एक शक्तिशाली तंत्र है। भारत सरकार भी अब इस योजना को अपनाने की सोच रही है।

183. अत: मैं हर्ष और humility के साथ भामाशाह योजना को पुन: प्रारम्भ करने की घोषणा करती हूं।

184. पूर्व सरकार का महिलाओं को 1 हजार 500 रुपये न देने का जो महिला-विरोधी निर्णय हुआ था, उस क्षति को पूर्ण करने की दृष्टि से मैं अब यह भी घोषणा करती हूं कि भामाशाह कार्ड के साथ, राज्य के अन्य किसी कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो रहे प्रत्येक बी पी एल परिवार की महिला को, 1 हजार 500 रुपये नहीं, बल्कि 2 हजार रुपये दिये जायेंगे। इस राशि का ट्रांसफर महिलाओं के खाते में दो किश्तों में किया जायेगा।

185. इस बार भामाशाह योजना और अधिक विस्तृत, परिष्कृत तथा वृहत होगी। हम राज्य के प्रत्येक परिवार तक पहुंचेंगे। राज्य के प्रत्येक परिवार को Bio-metric पहचान सहित core banking enabled bank खातों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 16 अगस्त, 2014 से पूरे राज्य में तथा 1 सितम्बर, 2014 से उदयपुर सम्भाग में विशेष नामांकन अभियान चलाया जाएगा। भामाशाह योजना हेतु इस वर्ष 600 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

186. राज्य के सभी परिवारों के मुखिया को राज्य सरकार एक

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

पहचान पत्र भी नि:शुल्क उपलब्ध करायेगी। मेरी धारणा है कि इस वर्ष के अंत तक राज्य के सभी परिवारों को राज्य की सभी योजनाओं के लाभ भामाशाह योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराए गए पहचान पत्र एवं भामाशाह नेटवर्क के माध्यम से सीधे वितरित करने की व्यवस्था हो जाएगी। पात्र व्यक्तियों को ही योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए भामाशाह योजना के विशेष नामांकन अभियान के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा राशन कार्ड धारकों का भी सत्यापन कराया जायेगा।

187. सूचना प्रौद्योगिकी और संचार तकनीक का प्रभावी उपयोग करने हेतु राजनेट परियोजना द्वारा वर्ष 2014-15 में 9 हजार 177 ग्राम पंचायतों को जोड़ने तथा समस्त जिला स्तरीय कार्यालयों में IP फोन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

188. सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आम आदमी को 35 विभागों की 50 सेवायें उसके निवास के निकट ही ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध करवायी जा रही हैं। वर्ष 2014-15 में इन सेवाओं का विस्तार कर 100 किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक पंचायत पर एक IT Service Centre खोला जायेगा।

189. पूर्व में समस्त जिला मुख्यालयों के मध्य वीडियो कांफ्रेसिंग की सुविधा प्रारम्भ की गई थी। इस सुविधा को अब पंचायत समिति स्तर तक बढ़ाया जायेगा।

190. लोगों की समस्याओं के तीव्र, सरल और systematic निराकरण के लिए हमने ''राजस्थान सम्पर्क'' का पोर्टल स्थापित किया है। इस पोर्टल के माध्यम से जन सुनवाई और अन्य सभी जन सम्पर्क माध्यमों का समावेश किया जायेगा, जिससे एक ही मंच पर उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण हो सकेगा।

191. राज्य के लिए एक ही GIS platform तैयार करने की योजना बनाई गयी है, जिससे सभी को आवश्यक सूचना नियमित रूप से सम्बन्धित नक्शे पर चिह्नित रूप में प्राप्त हो सकेगी। इस परियोजना हेतु वर्ष 2014-15 में 8 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

192. परिवहन विभाग द्वारा आमजन को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को बेहतर बनाने तथा वाहन स्वामियों को कर जमा कराने हेतु त्वरित व पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग के समस्त

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कार्यालयों का आगामी 2 वर्षों में चरणबद्ध रूप से कम्प्यूटराइजेशन किया जायेगा।

193. विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार न्यासों, आवासन मण्डल तथा नगरपालिकाओं द्वारा नागरिकों को सुगम रूप से सुविधायें प्रदान किए जाने के लिए व्यापक कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा और अनेक सेवायें आनलाइन उपलब्ध करवाई जायेंगी। सभी सम्भागीय मुख्यालयों में लैंड बैंक को गूगल मैप पर तैयार कर आनलाइन उपलब्ध करवाया जायेगा। राजस्थान आवासन मण्डल की योजनाओं सहित, राज्य की सभी आवासीय योजनाओं के लिए आनलाइन आवेदन व्यवस्था चरणबद्ध रूप से दिसम्बर, 2015 तक लागू की जायेगी। राज्य के नगरीय क्षेत्रों में नीलामी योग्य भू-खण्डों की e-auction की व्यवस्था चरणबद्ध रूप से लागू की जायेगी।

194. नये कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियां अपने Corporate Social Responsibility (CSR) बजट के व्यय हेतु राज्य में उचित परियोजनाओं का चयन कर सकें, इस हेतु Rajasthan Corporate Social Responsibility Portal स्थापित किया जायेगा। यह पोर्टल राज्य की एक सोसायटी या कम्पनी द्वारा राज्य के युवा professionals के साथ PPP मोड पर तैयार किया जायेगा। मुझे विश्वास है कि इस पोर्टल से राज्य में सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र के विकास में इन कम्पनियों की भागीदारी में बढ़ोतरी होगी।

195. हम सुशासन द्वारा लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अधिक सार्थक प्रयास करेंगे। समय की आवश्यकता है कि हम पारदर्शिता बनाये रखें, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित अवधि सुनिश्चित करें तथा लोगों की समस्याओं का निराकरण समयबद्ध तरीके से हो। राज्य सरकार इस उद्देश्य हेतु Good Governance Bill लायेगी।

196. वर्तमान में, राज्य में विभिन्न प्रशासनिक यूनिट्स, पटवारी-ग्राम सचिव, तहसीलदार-BDO, इत्यादि के भौगोलिक क्षेत्राधिकार अलग-अलग होने से आमजन को समस्या का सामना करना पड़ता है। अत: हमने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जो जिलों, उपखण्डों, पुलिस उपखण्डों, तहसीलों, पंचायत समितियों, इत्यादि के पुनर्गठन तथा सृजन के सम्बन्ध में तथा इन प्रशासनिक यूनिट्स के क्षेत्राधिकार को co-terminus करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सुझाव देगी।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

197. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों से लाभान्वित होने वाला वर्ग लगभग समान है। यह देखा गया है कि इन छात्रावासों के संचालन प्रक्रिया, स्वीकृत स्टाफ पैटर्न तथा आवासियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं में एकरूपता नहीं है। अत: विभिन्न विभागों द्वारा संचालित किये जा रहे छात्रावासों की सुविधाओं में एकरूपता लाने तथा इनकी संचालन व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मैं इन छात्रावासों के समुचित प्रबंधन हेतु एक स्वायत्तशासी सोसायटी के गठन की घोषणा करती हूं।

198. राज्य के अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र में राजकीय कर्मचारियों के पद अधिकतर रिक्त रहने की समस्या कई वर्षों से बनी हुई है। इस समस्या के निराकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा का गठन किया गया है। इस सेवा में नियुक्त कर्मचारियों का स्थानान्तरण अनुसूचित क्षेत्र से बाहर नहीं हो सकेगा। इन नियमों के तहत रिक्त पदों को भरने हेतु एक विशेष अभियान चलाया जायेगा।

199. अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के चयन में वर्तमान व्यवस्था के तहत विलम्ब होता है, जिससे बेरोजगार युवाओं में असंतोष रहता है। अत: राज्य में अलग से राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

गृह :

200. वर्ष 2014-15 में पुलिस की परिवहन व्यवस्था के आधुनिकीकरण हेतु नये वाहन उपलब्ध कराने के लिए 23 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

201. राज्य में एक नई इंडिया रिजर्व महाराणा प्रताप बटालियन बनायी जा रही है, जिसका मुख्यालय प्रतापगढ़ होगा। इस बटालियन में लगभग 1 हजार पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया इसी वर्ष प्रारम्भ कर दी जायेगी।

202. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में पालिग्राफ सेंटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, बीकानेर एवं अजमेर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के भवन का निर्माण चरणबद्ध रूप से करवाया जाना प्रस्तावित है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

203. प्रदेश में जेलों की सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है। इस हेतु Integrated Jail Development Plan बनाकर जेलों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। इस हेतु चयनित की गई जेलों में स्नानघर, शौचालय, आधुनिक मुलाकात कक्ष तथा चारदीवारी की ऊंचाई बढ़ाने सम्बन्धी निर्माण कार्यों के साथ-साथ सी सी टी वी कैमरे तथा 4जी cellular jammers भी लगाये जायेंगे। साथ ही, उदयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर तथा भरतपुर के संभाग मुख्यालयों पर 37 करोड़ रुपये की लागत से महिला बंदी सुधार गृहों का निर्माण कराया जायेगा। राज्य की कई जेलें शहरों के बीच में आ गई हैं। इन्हें सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। साथ ही, जगह की कमी व अन्य कारणों से इन जेलों में वांछित न्यूनतम सुविधायें भी उपलब्ध कराना मुश्किल हो गया है। इन जेलों के सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरण तथा redevelopment का कार्य भी NBCC के साथ किये जा रहे joint venture के माध्यम से किया जायेगा।

न्याय प्रशासन :

204. राजस्थान उच्च न्यायालय को केन्द्रीय कारागार, जयपुर तथा जोधपुर से वीडियो कांफ्रेसिंग से जोड़ा जायेगा।

205. राजस्थान के सभी अधिनियमों व उनके अधीन निर्मित नियमों को digitise कर codification करने का कार्य इस वर्ष प्रारम्भ किया जायेगा तथा इन्हें वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करवाया जायेगा।

206. भवानीमण्डी में वर्तमान में ADJ कैंप कोर्ट संचालित है। नियमित कोर्ट ना होने के कारण अभिभाषक एवं आमजन को असुविधा का सामना करना पड़ता है। अत: भवानीमण्डी में नियमित ADJ कोर्ट खोलने की मैं घोषणा करती हूं।

207. झालावाड़ में जिला न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारियों एवं अभिभाषकों हेतु आधुनिक सुविधायुक्त पुस्तकालय की स्थापना की जायेगी।

राजस्व:

208. वर्ष 2013-14 में 43 उपखण्ड स्तर के कार्यालय खोले गये थे। वर्ष 2014-15 में इन 43 कार्यालयों को सम्मिलित करते हुए 48 उपखण्ड कार्यालयों के लिए भवनों का निर्माण कराया जायेगा तथा इन कार्यालयों हेतु

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराया जायेगा। 95 करोड़ रुपये की इस योजना के लिए इस वर्ष 10 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

209. हनुमानगढ़ जिले में नई उपनिवेशन तहसील भादरा में सृजित करने की मैं घोषणा करती हूं।

210. राज्य में भू-दस्तावेजों के लेखन, अपडेशन और नक्शे का कार्य कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। अगले 3 वर्ष में राज्य के सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से सर्वे एवं आधुनिक यंत्रों से digital नक्शे तैयार किये जायेंगे। साथ ही, राज्य में आनलाइन जमाबंदी की व्यवस्था लागू की जायेगी, जिससे जमाबंदी सदैव अपडेटेड रहेगी। आनलाइन जमाबंदी की इस व्यवस्था से अन्य राजस्व रिकार्ड जैसे गिरदावरी, ढाल-बांछ, आदि भी कम्प्यूटरीकृत की जा सकेंगी। इन कार्यक्रमों पर लगभग 800 करोड़ रुपये का व्यय होगा। इस नवीन व्यवस्था हेतु पटवारियों को tablets उपलब्ध करवाये जायेंगे।

211. जिले में प्रशासनिक तंत्र का मुख्य केन्द्र कलेक्ट्रेट होता है। मेरे गत कार्यकाल में मैंने कुछ जिलों में कलेक्ट्रेट को मिनि सचिवालय के रूप में विकसित किया था। राज्य में phased manner में सभी जिला कलेक्ट्रेट को मिनि सचिवालय परिसर के रूप में आधुनिक सुविधायुक्त बनाने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा।

कर प्रशासन :

212. राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर सभी दस्तावेज पूर्णतया कम्प्यूटराइजेशन प्रक्रिया से पंजीकृत किये जायेंगे एवं सभी प्रकार के भुगतान आनलाइन प्रक्रिया से भी हो सकेंगे। प्रथम चरण में 40 उप-पंजीयक कार्यालयों का पूर्ण कम्प्यूटराइजेशन 31 दिसम्बर, 2014 तक पूरा कर लिया जायेगा। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने पर भूमि विक्रय के प्रकरणों में पंजीयन कार्यालयों से सीधे तहसीलों को जमाबंदी में नामान्तरण हेतु भी भेजा जा सकेगा। पंजीयन विभाग को पुनर्गठित भी किया जायेगा।

213. राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित प्रमुख विभागों जैसे वाणिज्यिक कर, परिवहन, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा आबकारी के कार्यालयों में आने वाले कर दाताओं के लिए आवश्यक सुविधाओं और बेहतर tax payer experience हेतु furniture, computer, internet, इत्यादि उपलब्ध करवाये जायेंगे। इन सुविधाओं के लिए प्रथम चरण में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा करती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

पत्रकार कल्याण :

214. अधिस्वीकृत पत्रकारों हेतु राज्य कर्मचारियों के लिए लागू राज मेडिक्लेम पालिसी के अनुरूप, 2 लाख रुपये के बीमा धन की स्टैण्डर्ड मेडिक्लेम पालिसी साधारण बीमा निधि द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी। कैशलेस सुविधा पूर्ववत 7 गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिए जारी रहेगी।

215. अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए मेडिक्लेम पालिसी की वित्तीय सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जायेगी।

216. अधिस्वीकृत photo journalist के लिए पृथक से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी, राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी के अनुरूप जारी की जायेगी।

कर्मचारी कल्याण :

217. राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के समान भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को सैनिक सेवा की पारिवारिक पेंशन के साथ-साथ राज्य सरकार में की गई सेवा के बदले भी पारिवारिक पेंशन दी जायेगी।

218. राज्य में वर्तमान में दो पारिवारिक पेंशन के पात्र बच्चों के लिए पारिवारिक पेंशन की अधिकतम सीमा 12 हजार 425 रुपये प्रति माह है तथा साधारण दर पर 7 हजार 455 रुपये प्रति माह है। इसे बढ़ाकर क्रमशः 38 हजार 500 रुपये प्रति माह तथा 23 हजार 100 रुपये प्रति माह किये जाने का निर्णय लिया गया है।

219. राज्य सेवा के पेंशनर्स को सरकारी कर्मचारियों जैसी चिकित्सा सुविधा देने हेतु वर्तमान योजना में संशोधन कर राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना-2014 लायी जायेगी।

220. पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दर के लिए वर्तमान आयु सीमा को 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष किये जाने की घोषणा करती हूं।

221. Fixed वेतन पर प्रोबेशनर ट्रेनी की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन कर, राज्य सेवाओं के ऐसे उच्च पद, जहां सेवा के न्यूनतम पद से उच्चतर पद पर सीधी भर्ती की जाती है, पर नियुक्ति 1 साल के प्रोबेशन पर की जायेगी। ऐसे प्रावधान राज्य कम्पनीज एवं यूनिवर्सिटीज हेतु भी किए जाएंगे।

222. राजकीय सेवाओं में professionals को निश्चित लघु अवधि के लिए नियोजित करने हेतु Rajasthan Short Tenure (Fixed Period) Service Rules लागू किये जायेंगे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

वित्तीय प्रबंधन एवं राजकोषीय स्थिति

223. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में पंचायती राज संस्थाओं को 2 हजार 74 करोड़ रुपये एवं नगरपालिकाओं को 688 करोड़ रुपये अंतरित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, पंचायती राज संस्थाओं को 778 करोड़ रुपये विशेष निर्बंध अनुदान दिया जायेगा। मुझे आशा है कि इस अंतरण से इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी। मेरी अपेक्षा है कि पंचायतें तथा नगरपालिकायें नागरिकों को, विशेष तौर से, पेयजल एवं सफाई की बेहतर सुविधायें उपलब्ध करा सकेंगी।

224. मैं पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने एवं वर्ष 2015 से 2020 की अवधि के लिए वित्तीय हस्तान्तरण के सम्बन्ध में सिफारिश देने के लिए पंचम राज्य वित्त आयोग के गठन की घोषणा करती हूं।

225. हमारी सरकार के गत कार्यकाल के वर्ष 2006-07 में FRBM Act में संशोधन कर राजस्थान विकास एवं गरीबी उन्मूलन निधि का सृजन किया गया था। किन्तु पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इस प्रावधान को वर्ष 2009 में समाप्त कर दिया गया। एक जिम्मेदार सरकार के नाते, मैं वित्त विधेयक के माध्यम से FRBM Act में संशोधन प्रस्तावित कर, इस निधि को पुन: सृजित करने की घोषणा करती हूं।

226. हमने इस वर्ष वेबसाइट के माध्यम से जनता से सीधे बजट सम्बन्धी प्रस्ताव आनलाइन आमंत्रित करने की पहल की। राज्य के निवासियों द्वारा इस पहल का स्वागत करते हुए 3 हजार 256 सुझाव दिये गये। हमने इन सुझावों पर विचार कर उपयोगी सुझाव बजट निर्माण प्रक्रिया में शामिल किये। मुझे विश्वास है कि बजट प्रक्रिया में भागीदारी की इस उपयोगी परम्परा के माध्यम से हमें आगे भी उपयोगी सुझाव मिलते रहेंगे।

227. राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष बजट दस्तावेजों के साथ एक नवीन दस्तावेज प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार के बजट से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण सूचनायें सरलीकृत रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(13.00 बजे)

228. मुझे इस बात ने हमेशा हैरान किया है कि राज्य के पड़ोसी प्रदेश गुजरात में कम से कम 15 राजकीय कम्पनियां stock exchange में listed हैं, परन्तु हमारे राज्य की एक भी राजकीय कम्पनी listed नहीं है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

229. सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों में बाजार से पूंजी एकत्र करने में न केवल सम्बन्धित कम्पनियों को अधिक पूंजी प्राप्त हो सकती है, बल्कि राज्य सरकार को भी अपनी equity के disinvestment करने में भी मदद मिल सकती है। अत: राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल्स लिमिटेड (RSMM), राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन (RIICO) एवं राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट कारपोरेशन (RSRDC) में राज्य सरकार equity के 10 से 25 प्रतिशत का disinvestment करेगी तथा इन कम्पनियों के stock exchange में listed कराने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी।

230. पिछले कुछ वर्षों में बजट केवल लुभावनी घोषणायें करने का माध्यम बन कर रह गया था। घोषणाओं की पूर्ति और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। घोषणायें करने पर ही, मानो, सारी ऊर्जा केन्द्रित थी। मेरा बजट एक working document है जो कि राजस्थान को अगले दस वर्षों में एक विकसित राज्य बनाने का vision रखता है। राज्य में योजनाओं की कमी नहीं है। कमी है तो यह कि योजनाओं का लाभ targeted groups को नहीं मिलता है। अत: हमको अपने delivery system पर पुन: विचार कर इसको सुधारना होगा। जिन सोच और नीतियों से 67 साल में हो सकने वाली प्रगति नहीं हुई, उस सोच और approach को बदलना होगा। हमें नये रास्ते और कार्यक्रमों के implementation हेतु नये delivery systems अपनाने पड़ेंगे।

231. यह रास्ता आसान नहीं है। इसमें कई established vested interests अपने आपको असुरक्षित व threatened महसूस करेंगे।

232. मैं यहां यह भी स्पष्ट करना चाहूंगी कि सभी राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि governance और government में फर्क है। हमारे प्रधानमंत्रीजी भी minimum government और maximum governance का रास्ता हमको दिखा चुके हैं। सरकारें आ जा सकती हैं, लेकिन देश को अच्छे governance की सदैव आवश्यकता रहेगी। यह बजट good governance की ओर मेरा अगला कदम है। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों और राजस्थान के समस्त नागरिकों से अपील करती हूं कि राजस्थान को एक विकसित प्रदेश बनाने के रास्ते पर 'आओ, हम सब साथ चलें। इस क्रम में 'सबका साथ, सबका विश्वास' यही हमारा नारा है। कृपा ईश्वर की, हम पर अवाम का सहारा है,'

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आओ साथ चलें, कदम से कदम मिला कर हम; राजस्थान को अव्वल बनाना, यह संकल्प हमारा है।

कर प्रस्ताव :

233. अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अब कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं।

234. करों की राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य की कर व्यवस्था, उद्योग, व्यापारिक वर्ग तथा आमजन सभी को प्रभावित करती है। राज्य में कर व्यवस्था के सम्बन्ध में मेरी सरकार tax efficiency, effectiveness, stability व equity के सिद्धांतों से प्रेरणा लेती है। राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाले करों से सम्बन्धित सभी विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श हेतु हमने बजट निर्माण की प्रक्रिया को और अधिक participatory बनाते हुए Tax Advisory Committee से चर्चा के साथ-साथ, इस वर्ष कर विशेषज्ञों, औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों, किसानों, स्वैच्छिक संगठनों, महिलाओं व उपभोक्ता संगठनों सहित पहली बार युवाओं, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और प्रोफेशनल्स से भी विस्तृत विचार-विमर्श किया है।

235. Tax compliance को सुनिश्चित करने के साथ tax payer's education, facilitation व tax simplification कर प्रशासन के pillars होंगे।

236. करों के माध्यम से हमारा यह प्रयास होगा कि राज्य में उद्योग व व्यवसाय प्रोत्साहित हो, निवेश में वृद्धि हो व रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हो।

माल व सेवा कर :

237. देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में आधारभूत सुधार हेतु केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें Goods and Services Tax (CST) व्यवस्था लाने हेतु कार्य कर रही है। हमारी सरकार देश व प्रदेश में GST व्यवस्था लागू करने के पक्ष में है। मैंने इसे शीघ्र लागू करने हेतु अपना समर्थन केन्द्र सरकार के समक्ष व्यक्त किया है। GST व्यवस्था लागू होने पर देश में indirect tax व्यवस्था में taxes की cascading व multiplicity समाप्त होने के साथ ही, करों का सरलीकरण भी हो सकेगा। निश्चित ही इसका लाभ व्यापार व उद्योग जगत के साथ-साथ जन साधारण को भी मिलेगा। GST व्यवस्था को लागू करने की अग्रिम तैयारी करने व सभी stakeholders से विचार-विमर्श करने हेतु मैं एक GST consultation committee के गठन का प्रस्ताव करती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

238. VAT प्रणाली self assessment पर आधारित है। इसकी सफलता हेतु dealers को कर कानून की जानकारी देना आवश्यक है। यह जरूरी है कि विभिन्न कर्तव्यों के सम्बन्ध में dealers को उचित मार्गदर्शन समय पर प्राप्त हो। इस हेतु हम उनके साथ लगातार संवाद कायम रखेंगे तथा विभिन्न स्तरों पर बैठकें व कार्यशाला आयोजित करेंगे। print व electronic media के अतिरिक्त विभागीय website का भी अधिक से अधिक प्रयोग किया जायेगा। communication one way न होकर two way व interactive हो, इस हेतु social media का भी उपयोग प्रस्तावित है।

239. राज्य के व्यापार एवं उद्योग जगत से जुड़े 4 लाख से अधिक dealers द्वारा कर भुगतान, return फाइल करने, विभिन्न प्रकार के forms, आदि जारी कराने व assessment कराने सहित अनेक प्रक्रियाओं में वाणिज्यिक कर विभाग से interface होता है। Dealers के साथ, जहां तक सम्भव हो, विभाग के human interface को समाप्त किया जायेगा। मेरी सरकार का यह निश्चित प्रयास होगा कि dealers का राज्य सरकार के साथ कामकाज में interaction एक Pleasant experience हो।

240. इस दृष्टिकोण से e-governance अति महत्वपूर्ण है। हम सुनिश्चित करेंगे कि tax payers को सभी सेवाएं, यथासम्भव, electronic व online माध्यम से उपलब्ध हों। वे any where, any time या घर बैठे 24x7, सरकार से सम्बन्धित समस्त कार्य सरलता व सुगमता से सम्पादित कर सकेंगे। मैंने यह तय किया है कि 31 मार्च, 2016 तक वैट सम्बन्धी समस्त कार्य इलेक्ट्रोनिक माध्यम से हों। ई-प्रशासन के इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मैं कुछ प्रस्तावों का उल्लेख करूंगी।

241. 1 अप्रैल, 2015 से समस्त assessment online किये जायेंगे।

242. विभाग के Demand Collection Register को digitize किया जा रहा है व इसे dealers की सुविधा हेतु 30 जून, 2015 तक online कर दिया जाएगा। इससे dealers को उनसे सम्बन्धित बकाया की सूचना हर समय online उपलब्ध हो सकेगी।

243. वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित समस्त देय राशि e-GRAS के माध्यम से जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही व्यवहारियों को refund भी electronically दिया जाना प्रस्तावित है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

244. Dealers की सुविधा हेतु समस्त आदेश, नोटिस व प्रमाण-पत्र, आदि electronic माध्यम से दिया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में डिजिटल हस्ताक्षर-युक्त Registration Certificate, Exemption Certificate तथा tax Clearance Certificate electronically जारी किया जाना प्रस्तावित है।

245. विभिन्न सेवाओं के आवेदन electronic माध्यम से अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित है। इसमें निम्न सेवाएं प्रमुख हैं:-

* पंजीयन एवं पंजीयन में संशोधन व निरस्तीकरण हेतु आवेदन
* डुप्लीकेट पंजीयन हेतु आवेदन
* कर निर्धारण आदेश में संशोधन हेतु आवेदन
* Ex-parte पारित कर निर्धारण आदेश खोलने हेतु आवेदन
* Composition Scheme हेतु आवेदन

246. Dealers द्वारा one time undertaking प्रस्तुत किये जाने की शर्त पर अधिकांश दस्तावेज, विशेषकर return जमा करने के बाद hard copy, प्रस्तुत करने की बाध्यता को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

247. हमारा प्रयास है कि व्यवहारियों को अपने कार्यों हेतु वाणिज्यिक कर विभाग के विभिन्न कार्यालयों में उपस्थित नहीं होना पड़े। परन्तु, फिर भी जो व्यवहारी किसी कार्यवश विभागीय कार्यालयों में आना चाहे और अपने किसी कार्य हेतु विभागीय अधिकारियों की मदद चाहे, तो उनकी सुविधा हेतु मैं प्रथमत: समस्त zonal कार्यालयों में PPP मोड में Dealer facilitation Centre प्रारम्भ करने की घोषणा करती हूं। ये centres व्यवहारियों को online सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनकी सहायता व मार्गदर्शन भी करेंगे।

248. वर्तमान में व्यवहारियों को VAT Act, Entry Tax Act, Luxury Tax Act एवं CST Act के अन्तर्गत पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके पंजीयन कराना पड़ता है। व्यवहारियों की कर सुविधा हेतु एक ही आवेदन पत्र के आधार पर इन सभी अधिनियमों के तहत पंजीयन किये जाने की सरलीकृत व्यवस्था लागू किया जाना प्रस्तावित है।

249. राजकीय क्रय पर भुगतान सम्बन्धित TDS के प्रावधान की व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए इनसे सम्बन्धित TDS के प्रावधानों को VAT अधिनियम व नियम से हटाया जाना प्रस्तावित है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

250. Three Star से कम श्रेणी व heritage basic श्रेणी के hotels द्वारा cooked food के विक्रय पर 5 प्रतिशत VAT की दर हेतु, ऐसी श्रेणी के hotels व heritage hotels के स्पष्ट वर्गीकरण के लिए आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है।

251. Dealers, विशेषकर work contract dealers को return भरने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से सम्बन्धित forms में संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है।

252. Work contracts पर काम कराने वाले awarders के लिये VAT नियमों के अन्तर्गत Awarder Identification Certificate प्राप्त करना अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही, कान्ट्रेक्टर्स की सुविधा हेतु उन्हें awarders द्वारा TDS काटे जाने के बदले स्वयं अग्रिम कर जमा कराने का विकल्प भी दिया जाना प्रस्तावित है।

253. अधिनियम व नियमों में स्पष्टता हेतु कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा रहे हैं:-

Online return filling की तिथि के 15 दिन में acknowledgement की hard copy जमा नहीं करने की स्थिति में non-filing of return माना जाता है। पुराने मामलों में, विलम्ब से acknowledgement की hard copy प्रस्तुत करने की दिनांक को return फाइल करने की दिनांक माना जाना प्रस्तावित है।

Return फाइल नहीं करने की स्थिति में भी रिटर्न देरी से फाइल करने पर देय late fees की तरह पेनल्टी लगाने के स्पष्ट प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

विभिन्न प्रकार के assessments हेतु निर्धारित अधिकतम समय सीमा से सम्बन्धित प्रावधानों में कुछ संशोधन प्रस्तावित हैं।

Input Tax Credit दिये जाने से पूर्व tax deposit के verification करने के सम्बन्ध में प्रावधान स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।

Return देरी से जमा करने पर due late fees सम्बन्धित प्रावधानों को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

254. Form VAT-11 में annual return file करने वाले समस्त व्यवहारियों हेतु वित्तीय वर्ष समाप्ति से 90 दिन की समय सीमा निर्धारित है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

Income Tax act के तहत audit की परिधि में आने वाले dealers को 30 सितम्बर तक audit करवाने का समय होता है। इस प्रकार के dealers को form VAT-11 में annual return प्रस्तुत करने हेतु 9 माह का समय दिया जाना प्रस्तावित है। Form VAT-10A में annual return प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा भी 9 माह किया जाना प्रस्तावित है।

255. VAT अधिनियम के अन्तर्गत traders के पंजीयन हेतु turnover की threshold limit 10 लाख रुपये तथा manufacturers हेतु सीमा 2 लाख रुपये है। manufacturers हेतु threshold limit 2 लाख रुपये से बढ़ा कर 5 लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

256. वर्तमान में VAT अधिनियम के अन्तर्गत छह विभिन्न श्रेणियों की composition scheme लागू हैं। इन सभी schemes का सरलीकरण कर इन्हें व्यावहारिक एवं सुविधाजनक बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही, composition राशि देरी से जमा कराने पर होने वाली कठिनाई के निराकरण के लिये, Saraffa एवं Gems & stones composition schemes में संशोधन कर, schemes का लाभ dealer, को दिया जाना प्रस्तावित है।

257. VAT अधिनियम के तहत व्यवहारियों को देय refund पर सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 13 माह पश्चात् से ब्याज देने का प्रावधान है। यह ब्याज सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दिये जाने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

258. वर्तमान में व्यवहारी द्वारा देरी से VAT जमा कराने पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से ब्याज देय है। इसे annually compound किया जाना प्रस्तावित है।

कर सम्बन्धित विवादों को कम करने एवं litigation घटाने सम्बन्धित प्रस्ताव :

259. विभिन्न न्यायालयों में वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित लगभग 6 हजार प्रकरण लम्बित हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। हमारी सरकार का प्रयास है कि कर सम्बन्धी विवाद कम से कम हों व न्यायालय में लम्बित प्रकरणों की संख्या में कमी आये।

260. VAT Act में सर्वाधिक विवाद commodity classification व देय tax की rate से सम्बन्धित हैं। इसका प्रमुख कारण tax schedules में वर्णित

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

वस्तुओं में कुछ अस्पष्टता व विरोधाभास हैं। साथ ही, शिड्यूल-5 में वस्तु विशिष्ट entries होकर residual goods सम्बन्धी entry से भी कुछ विवाद हुए हैं। इस समस्या के समाधान हेतु मैं Schedule-5 में कुछ विशिष्ट commodities का स्पष्ट उल्लेख किया जाना प्रस्तावित कर रही हूं।

261. राजस्थान कर बोर्ड में सभी पदों को भरने के उद्देश्य से सेवानिवृत्त IAS तथा RHJS सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे सेवानिवृत्त सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष किया जाना प्रस्तावित है।

262. राज्य सरकार को विशेष परिस्थितियों में कर में rebate प्रदान करने की शक्तियां दिये जाने के लिए राजस्थान वैट अधिनियम में प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

263. Tax Settlement Board को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

264. वर्ष 2009-10 व उससे पूर्व के वर्षों के बकाया घोषणा-पत्रों से सम्बन्धित मांग व मार्बल पर purchase tax से सम्बन्धित कुछ पुरानी बकाया मांग के निपटान व व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से ब्याज को waive करने की एक नवीन amnesty scheme प्रस्तावित की जा रही है।

265. वैट अधिनियम की धारा 67 के prosecution सम्बन्धी कुछ प्रावधानों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

266. मैं आशा करती हूं कि इन प्रस्तावों से litigation कम करने में मदद मिलेगी।

VAT दर सम्बन्धी प्रस्ताव :

267. SS wire rod and SS wire, power tools और toner पर टैक्स दर विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा कम की गई थी। इसी प्रकार, de-oiled rice bran को अधिसूचना दिनांक 8.7.2009 द्वारा करमुक्त किया गया था। इन वस्तुओं के dealers की व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए यह लाभ दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से दिया जाना प्रस्तावित है।

268. आमजन द्वारा उपयोग में लिये जाने वाले रीठा व शिकाकाई की बिक्री को करमुक्त करने की मैं घोषणा करती हूं।

269. Bio-gas की बिक्री भी करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

270. थ्री-स्टार से कम स्तर के होटल्स, heritage basic श्रेणी के होटल व रेस्टोरेंट्स द्वारा बेचे जाने वाले take away cooked food पर VAT दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

271. Desert व Room Coolers पर VAT दर 5 प्रतिशत निर्धारित है किन्तु इनकी Body पर वैट दर 14 प्रतिशत है। Desert व Room Coolers की bodies पर भी VAT दर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

272. शिक्षा के उपयोग में आने वाली work-book वर्तमान में VAT अधिनियम अन्तर्गत कर योग्य है, जिसे 1 अप्रैल, 2006 से करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

273. सरसों के तेल की inter-state बिक्री पर 2 प्रतिशत CST देय है जबकि तिलहन की खरीद पर 5 प्रतिशत VAT दर निर्धारित है। तिलहन पर देय VAT की ITC उपलब्ध होने से inter-state बिक्री करने वाले तेल उत्पादकों के लिये Tax refined की स्थिति उत्पन्न होती है। इस स्थिति के परिप्रेक्ष्य में तिलहन की VAT दर 3 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

274. Used motor Vehicles की बिक्री पर 2000 रुपये से 8000 रपये प्रति वाहन तक की VAT दर निर्धारित है। अब समस्त Used Motor Vehicles हेतु विक्रय दर पर 2.5 प्रतिशत के बराबर VAT निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

275. पिसे हुए मसालों की बिक्री पर 5 प्रतिशत की VAT दर निर्धारित है। कुछ साबुत मसालों की बिक्री पर भी 5 प्रतिशत की दर से VAT लगाना प्रस्तावित है।

276. 1000 रुपये से अधिक मूल्य के handicraft की बिक्री पर 5 प्रतिशत की दर से VAT लगाया जाना प्रस्तावित है।

277. 100 रुपये प्रति मीटर, 100 रुपये प्रति पीस व 100 रुपये प्रति सैट से अधिक कीमत के textile furnishing व 500 रुपये प्रति मीटर से अधिक कीमत के textile suiting व shirting पर भी 5 प्रतिशत की दर से VAT लगाना प्रस्तावित है।

278. UPS की बिक्री पर invertor व battery की तरह 14 प्रतिशत VAT लगाया जाना प्रस्तावित है।

279. 14.2.2008 के बाद स्थापित MSME को उनके द्वारा निर्मित उत्पादों की अन्तरराज्यीय बिक्री पर CST की दर 1 प्रतिशत व लाभ की सीमा दस वर्ष तक सीमित किया जाना प्रस्तावित है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

280. भवन निर्माण से पूर्व और उसके निर्माण के दौरान बेचान हेतु builders and developers व purchasers के मध्य agreements को work contract की श्रेणी में माना गया है। इस प्रकार के work counteracts पर भी टैक्स की एवज में exemption fees का विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है।

281. वर्तमान में work contractors को work contract tare tax की एवज में exemption fees जमा कराने का विकल्प उपलब्ध है। राज्य के भीतर से क्रय कर माल उपयोग करने वाले work contractors को work contracture की एवज में देय exemption fees में कमी किया जाना प्रस्तावित है।

282. मार्बल पर VAT दरें weight व size के आधार पर निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

283. राज्य के प्रमुख शहरों को वाणिज्यिक हवाई सेवा से जोड़ने हेतु inter-state, scheduled या non-scheduled सेवा उपलब्ध कराने व राज्य में Air Service Hub स्थापित करने वाली Airlines को Air Turbine Fuel (ATF) के विक्रय पर VAT की दर 20 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

Infrastructure Cess :

284. राज्य के कृषि एवं आधारभूत infrastructure को मजबूत करने की दृष्टि से specified वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर cess लगाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव वित्त विधेयक में प्रस्तुत कर रही हूं।

मनोरंजन कर :

285. राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 में DTH व cable Service सम्बन्धी प्रावधानों में समरूपता लाने की दृष्टि से संशोधन प्रस्तावित है।

286. DTH, Cable TV व Video Game Parlours पर 10 प्रतिशत की दर से और Cinema व Multiplexes पर 30 प्रतिशत की दर से 1 अगस्त, 2014 से मनोरंजन कर लगाया जाना प्रस्तावित है। 1 लाख तक के आबादी वाले कस्बों के सिनेमा हाल्स और 75 रुपये तक के सिनेमा टिकट्स पर मनोरंजन कर से छूट रहेगी।

287. वर्तमान में मनोरंजन कर अधिनियम के अन्तर्गत refund का प्रावधान नहीं है। इस हेतु मनोरंजन कर अधिनियम को संशोधित कर रिफण्ड का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

प्रवेश कर :

288. Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 की constitutionality सम्बन्धित विवाद के कारण बनी अनिश्चितता को दूर करने हेतु, मैं वर्तमान अधिनियम को विलोपित कर, एक नया प्रवेश कर अधिनियम लाया जाना प्रस्तावित करती हूं।

289. Entry Tax की परिधि में आने वाली वस्तुओं की सूची व उन पर लागू प्रवेश कर की दर को review कर, कुछ वस्तुओं को छोड़, प्रवेश कर की दरों को उनकी VAT दरों के समान व कुछ वस्तुओं पर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

290. वाहन निर्माताओं को उनके द्वारा क्रय किये गये कच्चे माल पर प्रवेश कर से छूट दी हुई है। इस छूट में टायर व ट्यूब के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से सम्बन्धित अधिसूचना को 8 मार्च, 2006 से संशोधित कर उसमें टायर व ट्यूब को शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

291. Wind Energy को बढ़ावा देने के उद्देश्य से wind mill manufacturers को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त माल पर entry tax में छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

विलासिता कर (Luxury Tax) :

292. वर्तमान में व्यवहारी द्वारा विलासिता कर देरी से जमा कराने पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देय है। व्यवहारियों को राहत देने की दृष्टि से इसे वैट अधिनियम के प्रावधानों के समरूप किया जाना प्रस्तावित है।

293. होटल्स द्वारा दस प्रतिशत की दर से विलासिता कर देय है। किन्तु समस्त श्रेणियों के heritage hotels पर विलासिता कर की दर 8 प्रतिशत है। मैं Heritage Grand श्रेणी के heritage hotels पर विलासिता कर दस प्रतिशत की दर से किया जाना प्रस्तावित करती हूं।

294. पर्यटन विभाग में पंजीकृत Paying Guest House व 5 कमरों तक के heritage hotels को luxury tax की देयता से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

295. Off-season में सभी श्रेणी के होटल्स पर विलासिता कर की दर 5 प्रतिशत है। Heritage hotels की मांग को दृष्टिगत रखते हुए, off-season में

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सभी श्रेणी के होटल्स पर लागू विलासिता कर की सामान्य दर में 50 प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

विद्युत शुल्क :

296. वर्तमान में विद्युत शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत goods की manufacturing और processing में उपयोग होने वाली energy पर ही छूट देने का प्रावधान है। राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में hotel industry का महत्वपूर्ण योगदान है और वर्तमान में RIPS के अन्तर्गत उन्हें विद्युत शुल्क की छूट देय है। Manufacturing और processing में उपयोग होने वाली energy के अलावा अन्य मामलों में भी यह छूट प्रदान करने के उद्देश्य से विद्युत शुल्क अधिनियम में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

पंजीयन एवं मुद्रांक :

297. अचल सम्पत्तियों और अन्य हित सृजित करने वाले transactions से सम्बन्धित दस्तावेजों पर देय मुद्रांक शुल्क एवं उनके पंजीयन पर लगने वाले पंजीयन शुल्क की दरें, transactions के पक्षकारों के हितों, transactions की frequency एवं पंजीयन कराने की प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। मेरी सरकार चाहती है कि राज्य में मुद्रांक शुल्क व पंजीयन की दरें तर्कसंगत हों, महिलाओं के पक्ष में transactions को बढ़ावा मिले तथा पंजीयन की प्रक्रिया सुविधाजनक हो। मैं इस उद्देश्य से पंजीयन व मुद्रांक सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूं।

298. महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक स्थायित्व के लिए समाज में महिला के नाम सम्पत्ति दर्ज किया जाना आवश्यक है। मैंने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं BPL महिलाओं के पक्ष में पंजीकृत होने वाले दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी कम करने की घोषणा की थी। इन महिलाओं के पक्ष में पंजीकृत होने वाले दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

299. राज्य सरकार स्थानीय निकाय और राजकीय उपक्रमों द्वारा नागरिकों को आवंटित और विक्रीत भूमि हेतु निष्पादित पट्टों, कृषि भूमियों के नियमन के पश्चात् जारी पट्टों तथा मध्यवर्ती अपंजीकृत एवं अमुद्रांकित दस्तावेजों पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर स्टाम्प ड्यूटी देय है। ऐसे प्रकरणों में राहत देते हुए स्टाम्प ड्यूटी conveyance की दर से सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निम्न अनुसार लिया जाना प्रस्तावित है:-

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

राज्य सरकार, स्थानीय निकाय एवं राजकीय उपक्रमों की भूमियों के सम्बन्ध में निष्पादित पट्टों पर स्थानीय निकायों द्वारा ली गई प्रतिफल राशि तथा दो वर्ष के किराये पर,

कृषि भूमियों के नियमन के पश्चात् जारी पट्टों पर उस स्थान की आरक्षित दर से किये गये मूल्यांकन पर, तथा

मध्यवर्ती अपंजीकृत एवं अमुद्रांकित दस्तावेजों पर मूल आवंटन राशि की डेढ़ गुना राशि पर।

300. बहुमंजिली आवासीय भवनों में स्थित फ्लैट्स का विभिन्न कारणों से बार-बार विक्रय होता है । ऐसे transactions में प्रत्येक बार क्रेता को स्टाम्प ड्यूटी चुकानी होती है, जिसके कारण दस्तावेज को पंजीयन नहीं कराने की प्रवृति को बढ़ावा मिलता है। मेरी सरकार द्वारा वर्ष 2004 में इन पर छूट दी गई थी, जिसे 2010 में वापस ले लिया गया। राज्य में फ्लैट्स के पंजीकृत विक्रय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसे फ्लैट्स की प्रथम बिक्री से 3 वर्ष के भीतर पुन: विक्रय पर देय स्टाम्प डयूटी घटाया जाना प्रस्तावित है। फ्लैट का पुन: विक्रय प्रथम दस्तावेज निष्पादन की दिनांक से 1 वर्ष की अवधि में किये जाने पर स्टाम्प ड्यूटी की दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत, 2 वर्ष की अवधि में पुन: विक्रय किये जाने पर 3 प्रतिशत तथा 3 वर्ष की अवधि में पुन: विक्रय किये जाने पर इसे घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

301. सम्पत्ति के बेचान का अधिकार देने वाली power of attorney, जो परिवार के सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित की जाती है, पर पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत व अधिकतम 50 हजार रुपये देय है। मैं इस शुल्क को घटाकर 1 प्रतिशत व अधिकतम 10 हजार रुपये करना प्रस्तावित करती हूं।

302. वर्तमान में 10 वर्ष तक की अवधि के किरायनामों, जिनमें किराये के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि अग्रिम ली जाती है, उन पर conveyance की दर से स्टाम्प ड्यूटी देय है, जिसे तर्कसंगत करते हुए 5 प्रतिशत से घटाकर अग्रिम एवं किराये की राशि के आधार पर अधिकतम 1 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

303. स्टाम्प ड्यूटी निर्धारण के प्रयोजनार्थ भवन निर्माण की दरें वर्ष 2009 में निर्धारित की गई थीं। गत 5 वर्षों में भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वर्तमान निर्धारित दरों को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

304. वर्तमान में भू उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में जारी दस्तावेजों पर भू उपयोग परिवर्तन के फलस्वरूप भूमि के बाजार मूल्य में हुए अन्तर की राशि पर conveyance की दर से स्टाम्प ड्यूटी देय है। चूंकि ऐसे प्रकरणों में सम्पत्ति का हस्तान्तरण नहीं होता है, अतः इन मामलों में जारी दस्तावेजों पर land use change charges के रूप में भुगतान की गई राशि पर 10 प्रतिशत की दर से स्टाम्प ड्यूटी लिया जाना प्रस्तावित है।

305. वर्तमान में Developer agreement पर भूमि के बाजार मूल्य पर 1 प्रतिशत की दर से स्टाम्प ड्यूटी देय है। Developer agreement के तहत Developer/Promoter को विकसित सम्पत्ति का निश्चित हिस्सा प्रतिफल में प्राप्त होता है, जिसे ऐसे Developer सीधे क्रेताओं के पक्ष में हस्तान्तरित करते हैं। विकसित सम्पत्ति का जो भाग Developer/Promoter को प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है, उस भाग के अनुपात में भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी की दर 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। शेष भाग पर स्टाम्प ड्यूटी 1 प्रतिशत यथावत रहेगी।

306. वर्तमान में कम्पनी अधिनियम के तहत कम्पनियों के amalgamation, demerger और re-construction के सम्बन्ध में पारित आदेशों पर स्टाम्प ड्यूटी की गणना के स्पष्ट प्रावधान नहीं होने से स्टाम्प ड्यूटी के evasion की सम्भावना बनी रहती है। अतः इन दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की गणना के प्रावधानों को स्पष्ट एवं rationalize करते हुए amalgamation, demerger और re-construction के सम्बन्ध में पारित आदेशों पर देय स्टाम्प ड्यूटी की दर व उसकी अधिकतम सीमा निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

307. स्टाम्प अधिनियम के प्रयोजनार्थ Leave and Licence Agreement व Concession Agreement को परिभाषित किया जाना तथा Concession Agreement, Leave and Licence Agreements, Transferable Development Rights तथा Advertising and Sponsorship Agreements को अनुसूची में शामिल कर इन पर स्टाम्प ड्यूटी की दर तय किया जाना प्रस्तावित है।

308. भूमि की बाजार दरें निर्धारित करने हेतु जिला स्तरीय समिति (DLC) की बैठक का आयोजन प्रति वर्ष किया जाना नियमानुसार आवश्यक है। परन्तु ये बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की जा रही हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक निर्धारित बैठक का आयोजन नहीं किया जाता है

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

तो आगामी 1 अप्रैल से उस जिले की DLC Rates 10 प्रतिशत की दर से स्वत: बढ़ी मानी जायेंगी।

309. 30 सितम्बर, 2014 तक जिला स्तरीय समिति (DLC) द्वारा भूमि की दरों का पुनरीक्षण नहीं किये जाने की स्थिति में, ऐसे जिलों में जहां वर्ष 2012-13 व 2013-14 के लिए जिला स्तरीय समिति (DLC) द्वारा भूमि की दरें पुनरीक्षित नहीं की गईं, उनके लिये 15 प्रतिशत व ऐसे जिले जहां वर्ष 2013-14 के लिए जिला स्तरीय समिति द्वारा भूमि की दरें पुनरीक्षित नहीं की गईं, उनके लिए भूमि की DLC Rates 10 प्रतिशत की दर से बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

310. DLC द्वारा अक्सर कृषि आवासीय एवं वाणिज्यिक श्रेणी की भूमियों की बाजार दरें ही निर्धारित की जाती हैं। अन्य श्रेणी जैसे औद्योगिक, संस्थानिक, फार्म हाउस मैरिज गार्डन, रिसोर्ट्स, खनन प्रयोजनार्थ, आदि भूमियों की दरें या तो निर्धारित नहीं की जाती है या उनके निर्धारण हेतु भिन्न-भिन्न मापदण्ड अपनाये जाते हैं। इस कारण से विभिन्न जिलों में इन भूमियों की दरों में अत्यधिक variation है। ऐसी भूमियों की दरें समस्त जिलों में समान अनुपात से निर्धारित करने के उद्देश्य से राजस्थान स्टाम्प नियमों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

311. वर्तमान में पंजीयन शुल्क का संग्रहण नकद राशि के रूप में करने से पंजीयन कार्यालय में इस राशि को सुरक्षित रखने सम्बन्धित समस्याएं हैं। इन समस्याओं के समाधान तथा पंजीयन कराने वाले पक्षकारों को पंजीयन शुल्क के भुगतान के अन्य विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंजीयन शुल्क से प्राप्त होने वाली राशि के नकद संग्रहण को समाप्त कर ऐसी राशि का संग्रहण Demand Draft, Pay-order, e-GRAS challan के माध्यम से या अधिकृत एजेंन्सी के माध्यम से कराये जाने के प्रावधान करने हेतु नियमों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। कमी मुद्रांक के मामलों में भी स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान हेतु भी समान प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

312. मैंने अभी हाल में ही राज्य के 62 स्वतन्त्र उप पंजीयक क्षेत्रों हेतु भी e-stamp की व्यवस्था कर राज्य के सभी 91 स्वतन्त्र उप पंजीयक क्षेत्रों में e-stamp उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। E-stamping को बढ़ावा देने के लिए ऐसे क्षेत्रों में एक लाख रुपये से अधिक स्टाम्प ड्यूटी देय होने वाले

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

दस्तावेजों में physical स्टाम्प के स्थान पर केवल e-stamp का ही उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। स्टाम्प वेंडर्स को e-stamp की sub vendorship व e-stamp व्यवस्था में प्रभावी भागीदारी हेतु training कराया जाना भी प्रस्तावित है।

313. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम में राज्य सरकार को ही लोक हित में स्टाम्प ड्यूटी पर देय ब्याज व पेनल्टी को माफ करने की शक्तियां प्राप्त हैं। 25000 रुपये तक की ब्याज व पेनल्टी की बकाया के ऐसे मामले जिनमें कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से असमर्थ होने से भुगतान नहीं कर सकता है, उन्हें राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 25000 रुपये तक की ब्याज व पेनल्टी माफ करने की शक्तियां महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक को दिया जाना प्रस्तावित है।

314. वर्तमान में कलक्टर (मुद्रांक) को उसके द्वारा पारित ex-parte निर्णयों को reopen करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसे मामलों में बकाया स्टाम्प ड्यूटी की 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर ही Rajasthan Tax Board के समक्ष revision के प्रावधान हैं। ऐसे प्रकरणों में पीड़ित पक्षकारों को राहत प्रदान करते हुए ऐसे एक पक्षीय निर्णयों को reopen करने का अधिकार कलक्टर (मुद्रांक) को दिया जाना प्रस्तावित है।

315. वर्तमान में स्टाम्प ड्यूटी की बकाया राशि पर कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित निर्णय की दिनांक से 18 प्रतिशत वार्षिक compounded दर से ब्याज की गणना की जाती है। ऐसे देय ब्याज की गणना दस्तावेज निष्पादन की तिथि से किये जाने के साथ ब्याज की दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत वार्षिक compounded किया जाना प्रस्तावित है।

316. राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत अमुद्रांकित या अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित दस्तावेजों पर कलक्टर (मुद्रांक) को पेनल्टी आरोपित करने की discretionary power है। वर्तमान में यह पेनल्टी न्यूनतम 100 रुपये एवं अधिकतम कमी मुद्रांक राशि की 10 गुना तक हो सकती है। discretionary powers के कारण अधिकारियों द्वारा भिन्न-भिन्न निर्णय लिये जाने की सम्भावना रहती है। निर्णयों में समरूपता के उद्देश्य से इन Discretionary powers को समाप्त करते हुए पेनल्टी कमी मुद्रांक राशि पर 2 प्रतिशत प्रति माह निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। इस पेनल्टी की न्यूनतम राशि कमी मुद्रांक की 25 प्रतिशत एवं अधिकतम 2 गुना रखा जाना प्रस्तावित है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

317. मैं आशा करती हूं कि इन प्रस्तावों से पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग का कार्य सरल होगा एवं आमजन को भी ड्यूटी दरों में राहत मिलेगी।

परिवहन :

318. केन्द्र सरकार के स्तर पर गठित Transport Development Council द्वारा 7500 कि.ग्रा. Gross Vehicle Weight तक के भार वाहन तथा Taxi एवं Maxi Cab पर एक मुश्त कर आरोपित किए जाने की अनुशंसा की गई है। Transport Development Council की अनुशंसा के अनुरूप नये पंजीकृत होने वाले इन वाहनों पर एक मुश्त कर अनिवार्य रूप से आरोपित किया जाना प्रस्तावित है। इस एक मुश्त कर को एक वर्ष में 6 समान किश्तों में जमा कराने का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। ऐसे वाहन जिनके लिए वर्तमान में एकमुश्त कर जमा कराना अनिवार्य नहीं है, उन्हें भी एकमुश्त कर जमा कराने का विकल्प लेने पर 6 समान किश्तों में जमा कराने की सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

319. 3 लाख रुपये तक के मूल्य की कारों पर 4 प्रतिशत तथा 3 लाख रुपये से अधिक एवं 6 लाख रुपये तक के मूल्य की कारों पर 6 प्रतिशत की दर से एकबारीय कर आरोपित किया जाना प्रस्तावित है।

320. 200 CC तक की इंजन क्षमता वाले दुपहिया वाहनों पर एकबारीय कर दर को यथावत रखते हुए 200 CC से अधिक व 500 CC तक 8 प्रतिशत एवं 500 CC से अधिक इंजन क्षमता वाले दुपहिया वाहनों पर 10 प्रतिशत की दर से एकबारीय कर आरोपित किया जाना प्रस्तावित है।

321. वर्तमान में समस्त Non Transport Vehicles पर पंजीयन तथा पंजीयन नवीनीकरण के समय और Transport Vehicles पर पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय वाहनों की 3 श्रेणियां, यथा, दुपहिया वाहन, दुपहिया वाहन से भिन्न तथा परिवहन यान पर ग्रीन टैक्स (सैस) आरोपित किया हुआ है। अधिक फ्यूल खपत करने वाले वाहनों पर अधिक ग्रीन टैक्स (सैस) आरोपण करने के उद्देश्य से वाहन की इंजन क्षमता, प्रयुक्त होने वाले फ्यूल व बैठक क्षमता आधारित श्रेणियां बनाकर ग्रीन टैक्स की दरों में संशोधन करते हुए ग्रीन टैक्स की अधिकतम सीमा तय किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे डीजल चालित Non Transport चार पहिया वाहन जिनकी इंजन क्षमता 2000 CC तक है या इंजन क्षमता 2000 CC से अधिक है व

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

बैठक क्षमता 5 सीट तक है, उन पर एक हजार रुपये तथा इससे अधिक इंजन क्षमता व बैठक क्षमता के वाहनों पर पांच हजार रुपये की दर से ग्रीन टैक्स आरोपित किया जाना प्रस्तावित है।

322. वर्तमान में राजस्थान के बाहर से पंजीकृत वाहनों के राज्य में प्रवेश पर देय कर की गणना तथा भुगतान का कार्य tax collection centre पर किया जाता है। इस व्यवस्था का सरलीकरण करते हुए देय कर की गणना तथा भुगतान ई-चेक पोस्ट पोर्टल के माध्यम से किये जाने की सुविधा प्रदान की जायेगी। इस योजना से देय कर की अदायगी में सहजता और पारदर्शिता के साथ-साथ राज्य में बाहर से आने वाले व्यावसायिक वाहनों के यात्रियों को चेक पोस्ट पर बिना समय नष्ट किये सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा।

आबकारी :

323. राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में कई महत्वपूर्ण प्रावधानों के अभाव अथवा समयानुसार संशोधनों की कमी के कारण विभागीय प्रक्रिया एवं कार्यवाही के दौरान कठिनाई महसूस की जा रही है। इसी क्रम में राजस्थान आबकारी अधिनियम में कच्चे माल से आबकारी वस्तुओं के निर्माण के मानक निर्धारण करने की शक्तियां प्रदान करने हेतु तथा कम्पनी के द्वारा आपराधिक कृत्य किये जाने की स्थिति में विधायी शक्तियां प्रदान करने हेतु राजस्थान आबकारी अधिनियम में प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्व सूचना, प्रवर्तन एवं आसूचना (Revenue Information, Enforcement & Intelligence)

324. राज्य में महत्वपूर्ण राजस्व विभागों के समस्त स्रोतों की निगरानी रखने तथा tax evasion रोकने के लिए राजस्व आसूचना निदेशालय गठित है। सूचनायें एकत्रित करने एवं तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने हेतु राजस्व आसूचना निदेशालय का पुनर्गठन कर State Directorate of Revenue Intelligence, Information and Enforcement के रूप में गठन किया जाना प्रस्तावित है। इसमें वाणिज्यिक कर विभाग, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग एवं खान विभाग, आदि के प्रवर्तन (Enforcement) कार्यों को भी सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

325. मेरे इन कर प्रस्तावों से लगभग 350 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय सम्भावित है तथा 150 करोड़ रुपये से अधिक की राहत दी गई है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

326. कर सम्बन्धित प्रस्तुत प्रस्तावों हेतु आवश्यक सभी अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं।

327. कुछ प्रस्तुत प्रस्तावों हेतु सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों में संशोधन आवश्यक होगा। ऐसे प्रस्तावों के विस्तृत उद्देश्य एवं प्रयोजन सहित प्रावधान वित्त विधेयक में सम्मिलित किये गये हैं।

परिवर्तित बजट अनुमान 2014-15 :

328. सार्वजनिक सेवाओं (Public Services) के विस्तार हेतु राज्य सरकार Public Private Partnership (PPP) पर आधारित योजनाओं के माध्यम से पूंजी विनियोजन कर रही है। इसी प्रकार, राज्य सरकार की स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा समितियों द्वारा स्वयं के संसाधनों से राज्य के विकास में दिए गए योगदान को भी राज्य आयोजना व्यय में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। पी.पी.पी. परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के अंशदान एवं स्वायत्तशासी क्षेत्र के योगदान को भी इस वर्ष से राज्य योजना में अलग से दिखाकर शामिल किया गया है। यह राशि 921 करोड़ रुपये है।

329. राज्य की 2013-14 की वार्षिक योजना की राशि 40 हजार 5 सौ करोड़ रुपये थी। माह फरवरी, 2014 में लेखानुदान प्रस्तुत करते समय इस वर्ष की वार्षिक योजना 46 हजार 990 करोड रुपये की अनुमानित की गई थी। परिवर्तित अनुमान 2014-15 में वार्षिक योजना का आकार बढ़ाकर 69 हजार 8 सौ 20 करोड़ रुपये होगा। यह योजना गत वर्ष की वार्षिक योजना से 72 प्रतिशत अधिक होगी।

330. वर्ष 2014-15 के लिए परिवर्तित बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-

1. राजस्व प्राप्तियां	1 लाख 6 हजार 124 करोड 67 लाख रुपये
2. राजस्व व्यय	1 लाख 5 हजार 387 करोड़ 19 लाख रुपये
3. राजस्व आधिक्य	737 करोड़ 48 लाख रुपये
4. पूंजी खाते में प्राप्तियां	22 हजार 151 करोड़ 33 लाख रुपये
5. पूंजी खाते में व्यय	26 हजार 39 करोड़ 70 लाख रुपये
6. पूंजी खाते में घाटा	3 हजार 888 करोड़ 37 लाख रुपये
7. बजटीय घाटा	3 हजार 150 करोड़ 89 लाख रुपये

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

राजस्व आधिक्य :

331. वर्ष 2014-15 के मूल अनुमानों में 731 करोड़ 75 लाख रुपये के राजस्व आधिक्य की तुलना में परिवर्तित बजट अनुमानों में राजस्व आधिक्य 737 करोड़ 48 लाख रुपये रहने का अनुमान है। इस प्रकार राजस्व आधिक्य में 5 करोड़ 73 लाख रुपये की वृद्धि होना संभावित है। चालू वर्ष में राज्य का राजस्व आधिक्य सकल घरेलू उत्पाद का 0.13 प्रतिशत अनुमानित है। इसका मुख्य कारण इस वर्ष से Centrally Sponsored Schemes की समस्त राशि राज्य की संचित निधि में प्राप्त होना है । राजस्व आय मद में प्राप्त होने वाली इस राशि में से 2 हजार 652 करोड़ पूंजीगत कार्यों के उपयोग में ली जाएगी। यदि यह राशि भी राजस्व व्यय के रूप में उपयोग में ली जाती तो यह 737 करोड़ 48 लाख रुपये का राजस्व आधिक्य 1 हजार 915 करोड रुपये के राजस्व घाटे में परिवर्तित हो जाता है।

राजकोषीय घाटा :

332. वर्ष 2014-15 के मूल अनुमानों में 16 हजार 354 करोड़ 76 लाख रुपये का राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया था। अब परिवर्तित बजट अनुमानों के अनुसार यह बढ़कर 20 हजार 185 करोड़ 90 लाख रुपये अनुमानित है, जो कि GSDP का 3.52 प्रतिशत है। मैंने राज्य में व्यापक स्तर पर infrastructure विकास की योजनाओं का कार्यक्रम घोषित किया है, जिसके लिए भारी संख्या में संसाधनों की आवश्यकता है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राजस्व घाटे की स्थिति छोड़कर जाने की मजबूरी के बावजूद infrastructure विकास पर पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए fiscal deficit का बढ़ जाना भी मुझे स्वीकार्य है।

333. मैं वर्ष 2014-15 का परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख रही हूं। साथ ही, राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 की अपेक्षानुसार मध्यकालिक राजवित्तीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीतियुक्त विवरण एवं प्रकटीकरण विवरण मैं सभा पटल पर रख रही हूं। अन्य बजट पत्रों के साथ, अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं।

334. इन्हीं भावनाओं के साथ, मैं बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदस्यों के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती हूं।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आखिर में,

हमारे हौसलों की, हमारे हौसलों की इंतहा मत पूछिये, साहब,

बहुत दूर है मंजिल, मगर मंजिल को पा लेंगे।

हमारे बाजुओं में जोर है, संकल्प है मन में,

कलेजा चीरकर चट्टान का रास्ता बना लेंगे।।

श्री अध्यक्ष: पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक, उसके पहले आप...

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-15 का उपस्थापन करती हूं एवं इसे सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान वित्त विधेयक को पुर:स्थापन कीजिए।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान वित्त विधेयक, 2014

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान वित्त विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान वित्त विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष: आप सबको धन्यवाद देते हुए, मैं बैठक दिनांक 15 जुलाई, 2014 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.39 बजे मंगलवार, दिनांक 15 जुलाई 2014 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदस्यवार-सूची

सोमवार, 14 जुलाई, 2014

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अध्यक्ष	
व्यवस्था	
-सत्ता पक्ष के बारह मंत्री उपस्थित हैं, अत: सरकार संवैधानिक स्थिति में है	5
श्री कालू लाल गुर्जर (माण्डल), मुख्य सचेतक	
समिति प्रतिवेदन : कार्य सलाहकार	
-कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र. सं. 4)	1
श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)	
व्यवस्था	
-सत्ता पक्ष के बारह मंत्री उपस्थित हैं, अत: सरकार संवैधानिक स्थिति में है	7
श्री रामेश्वर लाल डूडी (नोखा), नेता, प्रतिपक्ष	
व्यवस्था का प्रश्न	
-छह महीने की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी मंत्री बने रहने से सरकार की संवैधानिक स्थिति को खतरा	2
श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालरापाटन), मुख्य मंत्री	
आय व्ययक	
-परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-15 का उपस्थापन	10
विधेयक का पुर:स्थापन	
-राजस्थान वित्त विधेयक, 2014	80